

शासकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय  
शिवाजी नगर, भोपाल



**STUDENT  
HAND BOOK**

*Govt. Women's Polytechnic College  
Shivaji Nagar, Bhopal*

**शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र) की  
हेण्डबुक में प्रस्तुत जानकारियों का क्रम अथवा रूपरेखा:-**

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	हेण्डबुक तैयार करने का उद्देश्य । <b>Objectives of Handbook.</b>	4
2.	शासकीय महिला पॉलिटेक्निक, भोपाल का संक्षिप्त परिचय । <b>Brief introduction of Government Women's Polytechnic, Bhopal.</b>	5
3.	संस्था में संचालित विभिन्न शैक्षणिक विभागों का संक्षिप्त परिचय । <b>Brief introduction of various academic departments operating in the institution.</b>	6-22
4.	पारिभाषिक शब्दावली । <b>Glossary</b>	23
5.	संस्था से सम्बन्धित विभिन्न वेब साईट्स की सूची । <b>List of various websites related to the institution.</b>	24
6.	प्रवेश सम्बंधी जानकारियाँ <b>Information Regarding admission</b>	25-34
7.	उपस्थित सम्बंधी प्रावधान <b>Povisions Regarding attendance</b>	35
8.	प्रोग्रेसिव टेस्ट <b>Progressive test</b>	36
9.	सेमेस्टर अंत की परीक्षा <b>Semester end examinations</b>	37
10.	औद्योगिक प्रशिक्षण <b>Industrial Training</b>	38
11.	शैक्षणिक भ्रमण <b>Academic visit</b>	39
12.	रेल्वे कन्सेशन <b>Railway Concession</b>	40
13.	पुस्तकालय/ग्रंथालय <b>Library</b>	41
14.	छात्रवृत्ति एवं छात्रवृत्ति प्रारूप <b>Scholarship and Scholarship Format</b>	42-95
15.	शिकायत निवारण <b>Grievances Redressal</b>	96-97
16.	एन्टी रेगिंग कमेटी <b>Anti Ragging Committee</b>	98
17.	मेन्टरिंग सिस्टम <b>Mentoring System</b>	99
18.	पूर्णमूल्यांकन <b>Re-valuation</b>	99-100
19.	परिचय पत्र <b>Identify Card</b>	101

20.	छात्रावास Hostel	102–107
21.	संस्था छोड़ने / स्थानान्तरण प्रमाण पत्र Institution Leaving/Transfer certificate	108–113
22.	डिप्लोमा प्रमाण पत्र Diploma Certificate	114
23.	स्टेशनरी वितरण Stationery Distribution	115–116
24.	एम.आई.एस. सिस्टम MIS System	117
25.	सांस्कृतिक कार्यक्रम Cultural Activities	118
26.	खेलकूद Sports	119
27.	फीस Fees	120–122
28.	राजीव गाँधी प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म अग्रेषण के नियम Rules for Forwarding Examination forms of Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya	123
29.	प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष एवं द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रवेश के नियम Rules for admission from first year to second year and second year to third year	124
30.	कैम्पस सिलेक्शन Camps selection	125
31.	प्रभारियों की सूची List of Incharges	126
32.	बैंक खाता खुलवाने हेतु पहचान पत्र Identify card for opening Bank account	127
33.	सूचना का अधिकार Right to Information	128–130
34.	राष्ट्रीय सेवा योजना National Service Scheme	131
35.	एल्युमिनाई Alumni	132–133
36.	स्टूडेंट चैप्टर Student Chapter	134
37.	आंतरिक परिवाद समिति Internal Complaints Committee	135

## हैण्डबुक तैयार करने के उद्देश्य

शासकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्राएँ, अध्ययनरत छात्राएँ, अध्ययन कर चुकी छात्राएँ, संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी, अन्य कार्यालय एवं जन साधारण को संस्था के सम्बन्ध में देने योग्य अधिकतम जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना इस पुस्तिका को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य है ।

## शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भोपाल का संक्षिप्त परिचय

शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल भारत के हृदयप्रदेश मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित है।

यह संस्था सन् 1964 में केवल महिलाओं के लिए स्थापित मध्यप्रदेश की पहली पॉलीटेक्निक संस्था है। वर्तमान में यह संस्था भोपाल शहर में शिवाजी नगर में संचालित हो रही है। संस्था का स्वयं का परिसर लगभग 3 एकड़ का है एवं इसमें सर्व सुविधायुक्त महाविद्यालय भवन स्थित है। यह संस्था भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं नादरा बस स्टैण्ड भोपाल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हलालपुर बस स्टैण्ड भोपाल इस संस्था से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है।

हबीबगंज रेल्वे स्टेशन भोपाल एवं अन्तराज्यीय बस टर्मिनल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

यह संस्था पूर्णतः मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन है एवं शासन द्वारा पोषित एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल (म०प्र०) से संबद्ध है।

## इस संस्था का विजन एवं मिशन निम्नानुसार है

### VISION OF INSTITUTE

Excellence in Technical & Professional Education for Women empowerment.

### Mission of Institute

1. To ensure update curriculum consistent to the needs of the industry and skill based training by having close interaction with its stakeholders.
2. To ensure an environment conducive to student centric teaching learning process backed by better infrastructure facilities for ensuring quality education.
3. To cultivate the spirit of best practices and ethics along with creativity and innovation and provide a platform where students can excel for their advance career thus ensuring better placements.
4. To steer up towards revenue generation by promoting continuing education programs testing and consultancy services.
5. To extend the benefits of skill education up to rural youths through pro community polytechnic scheme and provide an enabling environment for disadvantaged sections of the society.

संस्था का मुख्य कर्तव्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित विभिन्न संकायों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को म०प्र० शासन की अनुमति से संचालित कर तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। संस्था सन् 1964 में चार संकायों के साथ स्थापित की गई थी। कालान्तर में यह संख्या बढ़कर 6 हो गई थी। वर्तमान में इस संस्था में 5 संकाय संचालित हैं। इनके नाम निम्नानुसार हैं:-

1. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन।
2. कम्प्यूटर साइंस।
3. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट।
4. फैशन टेक्नालॉजी।
5. आर्किटेक्चर एवं इंटीरियर डिजाइन।

**शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल**  
**( राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध )**  
**पाठ्यक्रमों का विवरण**

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रवेश का माध्यम	शैक्षणिक अर्हता	प्रवेश क्षमता
1	आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियल डिजाइन	3 वर्ष	पी. पी. टी. द्वारा	विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल म. प्र. अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की 10वीं कक्षा की परीक्षा/एस.एस.सी. परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	60
2	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन	3 वर्ष	पी. पी. टी. द्वारा	विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल म. प्र. अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की 10वीं कक्षा की परीक्षा/एस.एस.सी. परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	60
3	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	3 वर्ष	पी. पी. टी. द्वारा	विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल म. प्र. अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की 10वीं कक्षा की परीक्षा/एस.एस.सी. परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	60
4	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	3 वर्ष	नॉन पी. पी. टी. ( 12वीं में प्राप्तांक के आधार पर )	माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा किसी भी विषय समूह के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	60
5	फैशन टेक्नोलॉजी	3 वर्ष	पी. पी. टी. द्वारा	माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/एस. एस. सी. परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	60

## DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

### VISION

“Excellence in electronics and telecommunication engineering to cater the needs of industry and society.”

### OUR MISSION

M 1 : Design and implement student centric teaching- learning process that incorporates core knowledge and skills to meet the industrial and societal needs

M 2: Produce employable diploma engineers/technicians to meet the needs of industries.

M 3: To create suitable environment for producing entrepreneurs through institute industry interaction and active participation of all stake holders.

M 4: Inculcate ethical management practices and develop infrastructure for sustainable growth.

### Brief Description

Diploma Is Offered In The Field Of Electronics & Telecommunication Engineering.

The student will be able to understand the working, application and maintenance of some electronic gadgets.

Post three-year diploma programme, the student may go for transfer course to Engineering College through lateral entry scheme of M.P. Government. Alternatively, students may appear for degree course examination conducted by Institute of Engineers, Kolkata (A.M.I.E.) or Institute of Electronics & Telecommunication engineers, New Delhi ( A.M.I.E.T.E.). They also have the option to go for placement directly.

### Admission

- Eligibility – Class 10<sup>th</sup> pass from any school board.
- Entry through pre Polytechnic Test (PPT) conducted by VYPAM, Bhopal . ([www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in)).
- Admissions through **Online Counseling**, conducted by DTEMP, Bhopal. ([www.dtempcounseling.org](http://www.dtempcounseling.org)).
- Intake capacity – 60 seats.
- Duration of the programme – Three years (six semester).

### Placements

- Aishwarya Raj Pawan got selected in Eaajay Ericsson (P) LTD.
- Aroma Katare selected in MAHLE Behr India Private Limited. Pune.  
Anjali Singh got selected in cummins India Pun Anjali Singh Saryam,Shirin Chouhan,Priyanka Bandewar,R. Laxmi,Vaishali Kamtkar, Pragati Shinde,Urmila Shah, Komal Mishra,Varsha Narware,Ankita Khosti, Ayushi Upadhay and Sweta Gour had got selected in Nainko Exim PVT. LTD. Pune.

### Core Subject

The student shall learn in detail basic electronics circuit, electronic devices, network analysis, microprocessor application, digital electronics , communication System, industrial electronics, etc. For detailed curriculum, please visit R.G.P.V. website ([www.rgpvdiploma.in](http://www.rgpvdiploma.in)).

### Laboratory Details

- Basic Electronics and Project Lab: CRO, Signal generator, Regulated Power Supply, Different trainer boards includes different amplifiers, rectifiers, network theorems etc.
- Communication System Lab: CRO, Signal generator, Regulated Power Supply, Different trainer boards includes analog modulations

## DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

- (AM,FM), digital modulation, PCM, Radio kit, data communication etc.
- Microprocessor Lab: CRO, Signal generator, Regulated Power Supply, Different trainer board includes 8085, 8051, microwave bench, transducers, and antenna trainer boards etc.
- T V and advanced Communication Lab: CRO, Signal generator, Regulated Power Supply, Different trainer boards includes B/W and color TV demonstrator, optical fiber kits etc.
- Computer Lab: Latest Desk top computer.

### Industrial visits

- Science Center Bhopal.
  - Malhotra Industry 1td Bhopal.
  - 92.7 Big FM Bhopal.
1. Our department's final year students have Visit to MCTE Mhow, on 06/10/2017 in that they learn the different methodology which is used by Indian Military.
  2. Our department students have Visit to 92.7 Big FM in MP Nagar Bhopal on 07/11/2017. There they learn how recording is done and broadcast on air. They visited the studio also.
  3. Our department's first and second year students have visited Water Treatment Plant Kolar, Bhopal on 11/04/2018. There they have seen the process of water cleaning for suitable for supplying to public.
  4. Our departments student have visited Navigator Technologies, Bhopal, on 16/04/2018. Which work on Industrial and Home Automation Products.

### Experts Lectures

- "Satellite Communications" by Mr Neeraj Kumar, Jr. Scientist, ISRO Bhopal.
- "Production process of Program" by Mr devendra Verma, Production Manager, Dordarshan bhopal.
- Mr Sudesh More – DRMZ Tech Bhopal – Robotics.
- Mr Gautam Kaushal – DRMZ Tech Bhopal – Embedded System.
- Mr Jitendra Kumar Kawadkar CRISp Bhopal – VLSI
- 'Industrial Automation' by Mr Nikhil Kaushik, Director AI Automation.
- 'Industrial Instrumentation' by Imran Ahmed Farooqui, Consultant Instrumentation CRISP Bhopal.
- 'Different Cables and Cabling in Data Communication' by Kapil Shrivastava, Consultant System Engineer CRISP.

### FACULTY :

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
1	Sudhir Kumar Dubey	HOD	BE (Electronics & Telecommunication), MTech(Digital Com)	16 years (approx)	M. Tech.	Digital Communication Engineering
2	Prateek Vajpayee	Sr. Lect.	BE (Electronics), MTech(Digital Com)	22 years (approx)	Phd	Digital Communication Engineering

## DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
3.	Vijay kalakar	Sr. Lect.	BE (Electronics & Telecommunication), MTech(Digital Com)	18 years (approx)	M. Tech.	Digital Communication Engineering
4.	Anoop Bundela	Sr. Lect.	BE (Electronics & Telecommunication)	6 years	M. Tech.	Microprocessor
5.	Lokesh Kumar Sadrani	Sr. Lect.	BE (Electronics & Telecommunication)	6 years	M. Tech.	Antenna And Wave Propagation
6.	Tariqu Ali	Lect.	BE Elect. & Comm. M.Tech. Digital Comm.	3 years	M.Tech.	Digital Comm.
7.	Akanksha Gupta	Lect.	BE (Elect. & Comm.) M.Tech. Elect. & Tel.	3 years	M.Tech.	Elect. & Tele.
8.	Dr. Vinod Gupta	Lect.	Ph.D.	8 years	Ph.D.	English

### **Comm. Skills Faculty**

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
1.	Dr. Vinod Gupta	Lect.	Ph.D.	8 years	Ph.D.	English

### **Supporting staff**

SN	Name	Post	Qualification
1	S.K. Nair	T.V. Mechanic	Diploma and ITI
2	S.K. Saxena	Skill Asst.	Diploma and ITI
3	K.K. Khandekar	T.V. Mechanic	Diploma and ITI
4	Santosh Shriwastav	Skill Asst.	ITI
5	Mrs. Sunita P. Samuel	Lab Tech.	ITI
6	Ms Anita Choudhari	Lab. Tech.	M Sc.

# Computer Science & Engineering Department

## Vision of Deptt.

Excellence in the field of computer science and engineering through women empowerment.

## Mission

1. To produce best quality information technology professionals by imparting quality training on latest technologies, hands on experience and value education.
2. Continuous improvement in the curriculum, infrastructure facility and faculty development programme to always remain at cutting edge of technology.
3. Encourage students to become self motivated for the profession as well as for higher studies.
4. To offer continuing education programme and increase industries interaction

## Brief Description of course

Department of Computer Science offers three years diploma programme. It includes all aspects of software programming .The objective of course is to produce skilled software professionals ready for job or higher studies. Department has well qualified and experienced faculty, well resourced Lab and smart class rooms to provide required Knowledge.

## Admission eligibility

M.P. domicile candidate passed 10<sup>th</sup> and PPT Exam.

**Training and Placement** Students are well placed in BPOs, Wipro, Polaries and in reputed companies abroad also, Higher education.

**Main Subject Taught** Communication skills , Applied Science, Introduction to P.C., P.C. Utilities and Operating Environment, Applied Maths, Digital Electronics, Basic programming in C, Basic Electrical, Electronics and Measurement, Electronics Workshop Practice., Data Communication, Microprocessor and Interfaces, OOPs, Software Engineering ,Computer Architecture, DBMS, Business Communication ,java Programming, computer Networks, Industrial Management ,Graphics and multimedia, Linux, Managing Information Technology etc.

**Labs** -Department have

1. Computer Centre 1 and 2 in which following labs are operated
  - A. Computer Network Lab
  - B. Operating System Lab
  - C. Data Base management Lab
  - D. Multimedia Lab

## Computer Science & Engineering Department

### Main equipments in labs are

Computer, printer, software, projector, Networking equipment etc

### Industrial Visits and Guest Lecture

During last few years Students have been taken for industrial visit to MPEB Data centre, Science centre, Crisp etc. Experts from MANIT Bhopal, BHEL and other reputed organization & are called for lectures.

### Faculty

SN	Name	Designation	Edu.qua.	Yrs of Experience		Paper Published		Expertise	Contact number
				Fild	Job	Int.	Nat.		
1.	Mrs.Pooja Manghnani	HOD	M.Tech (I.T.)	01	21		01	DBMS, NETWORKS	9425008477
2.	Mr.Rajesh Sisodiya	Lecturer	M.Tech (CSE)		09	01	02	Cryptography	9425149691
3.	Mrs. Snehlata Yadav	Lecturer	BE. (I.T.)		10		04	Data com, ATM Networks, Os	9329666492
4.	Mrs. Yachna Bhavsar	Lecturer	Mtech, BE(CS)		10				9827811904
5.	Mr.D.K. Chourishi	Lecturer	Mtech, BE (CSE)		20	03	04	Distributed Systems & Network	9826816730
6.	Shri Pankaj Khare	Lecturer	M.C.A.		19			DBMS	9826489370

### Comm. Skills Faculty

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
1.	Dr. Swati Shrivastava	Lect.	Ph.D.	23 years	Ph.D.	English

## मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट

**VISION ध्येय** –कार्यालय प्रबंध पत्रोपाधिधारी आधुनिक कार्यालय में सुशासन की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने प्रबंधकीय कौशल द्वारा प्रभावशाली योगदान करें।

Diploma holder of modern office management will contribute effectively with his managerial skill in accordance to the needs of good governance in modern office.

**MISSION कार्य लक्ष्य** –परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले प्रमुख कार्य

- M1 कार्यालय प्रबंध पाठ्यक्रम में निरन्तर उन्नयन।  
Continuous Upgradation/Modification of Syllabus.
- M2 संस्थान एवं विभाग के समग्र संसाधनों का निरन्तर उन्नयन एवं विकास करना।  
Upgradation of resources of institution & of Department.
- M3 पत्रोपाधिधारी को प्रशासनिक कार्यकारी, प्रबंधक एवं उद्यमी के रूप में तैयार करना।  
Prepare diplomaholder as administrative executive / Manager / Entrepreneur.
- M4 पत्रोपाधिधारी को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए तैयार करना।  
Prepare diploma holder for effective leadership.

**Brief Description पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी**– मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट पत्रोपाधी (Diploma) पाठ्यक्रम इस संस्था में वर्ष 1995 से संचालित है। यह पाठ्यक्रम 03 वर्षीय पाठ्यक्रम है। वर्ष 2012 से यह पाठ्यक्रम CGPA आधारित है। यह पाठ्यक्रम प्रदेश की राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। जो की प्रदेश का एक मात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है।

### Admission प्रवेश–

- **Eligibility प्रवेश योग्यता** – किसी भी बोर्ड से 12 वी कक्षा पास और किसी भी संकाय से 12 वी पास को इस कोर्स में प्रवेश की योग्यता है।
- **Admission Procedure प्रवेश व्यवस्था**– संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश के द्वारा ऑन लाईन व्यवस्था के अंतर्गत मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
- **Intake Capacity प्रवेश क्षमता**– 60 सीट
- **Duration of the Programme पाठ्यक्रम की अवधि** – 03 वर्ष छः सेमेस्टर

**Placement रोजगार के अवसर** – सामान्यतः शासकीय/अशासकीय कार्यालयों एवं कंपनी/ कॉल सेंटर आदि में रोजगार मिल जाता है। बहुत सी उत्तीर्ण छात्राएँ मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, विभागों के प्रमुख कार्यालयों, कोर्ट, वाणिज्य कर विभाग आदि में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार के भी कई कार्यालयों में अनेक छात्राएँ रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। सामान्यतः सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर, डॉटा एंट्री के पदों पर नियुक्ति मिल जाती है।

**Core Subject पढाये जाने वाले मुख्य विषय** – कार्यालय प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, वित्तीय लेखांकर, लागत लेखांकन एकाउंटिंग विद टेली, स्टेनोग्राफी (हिंदी /अंग्रेजी) हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग, सेक्रेटारियल प्रेक्टिस, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, डी.टी.पी. हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग आदि प्रमुख विषय पढाये जाते हैं। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम की विस्तृत, जानकारी आर.जी.पी.वी. की वेब साइट पर उपलब्ध रहती है।

## मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट

**Laboratory प्रयोगशाला** – वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता के दृष्टिकोण से कंप्यूटर लेब प्रमुख लेब के अंतर्गत आती है। लेब में लेटेस्ट डेस्क टॉप कंप्यूटर जो कि नेट सुविधा के साथ छात्राओं को पूर्ण समय उपलब्ध रहती है।

**Industrial Visit/ Office Training औद्योगिक भ्रमण/ कार्यालय प्रशिक्षण** – समय-समय पर विभाग की छात्राओं को औद्योगिक एवं कार्यालय भ्रमण भी कराया जाता है। इसी वर्ष विभाग की सीनियर छात्राएँ मुम्बई की औद्योगिक संस्था भ्रमण पर जा रही है। पंचम सेमेस्टर के एक आवश्यक विषय ट्रेनिंग टूर एंड विजिट के अंतर्गत छात्राओं ने म.प्र. संचालक तकनीकी शिक्षा कार्यालय एवं आर.जी.पी. वी. के सचिव कार्यालय में एक माह का कार्यालय प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

**Expert Lecture विषय विशेषज्ञ का व्याख्यान**– समय-समय पर संस्था से बाहर के विद्वानों को बुलाकर व्याख्यान कराये जाते हैं। विछले सत्र में उदयमिता विकास पर श्री बृजेश्वर नाथ एवं राजेंद्र सक्सेना का उदयमिता विकास पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था।

### Faculty संकाय सदस्य–

क्र	नाम	पद	योग्यता	अनुभव	विशेषता
1	Dr. M.A. Beg	H.O.D.	M.Com, Ph.D.	41 Yrs	Business Management & Personality Development
2	Dr. Rajendera Butada	Sr. Lecturer	M.Com, M.Phill Ph.D.,M.A	24 Yrs	Office management
3	Dr. Neelu Verma	Sr. Lecturer	M.Com, Ph.D.,B.Ed Diploma in C.P.	24 Yrs	Income Tax & stenogeaphy (English)
4	DR.Arti Thakur	Sr. Lecturer	M.Com, Ph.D., Diploma in C.P	24 Yrs	Entrepreneurship Stenohgraphy (English)
5	Dr.Suteekshan Dwivedi	Lecturer	M.Com., Ph.D., PGDCA	15 Yrs	Accounting & Taxation

### Comm. Skills faculty

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
1.	Dr. Vinod Gupta	Lect.	Ph.D.	8 years	Ph.D.	English

### SUPPORTIG STAFF

क्र	नाम	पद	योग्यता	अनुभव	विशेषता
1	Shri P C. Mehra	Jr. Instructor	B.Com Diploma in C.P	23 Yrs	Stenography (Hindi)
2	Shri N.K Joshi	Jr. Instructor	M.A.,PGDCA. ITI	22 Yrs	Stenography (Hindi)
3	Smt. Chitrlekha Das	Tech. Astd.	M.A., Diploma in C.P	23Yrs	Typing (Hindi/English)
4	Shri S.S Rawat	Typewriter Mechanic	Higher Secondary	21 Yrs	

## DEPARTMENT OF FASHION TECHNOLOGY

---

### VISION

EXCELLENCE IN FASHION TECHNOLOGY EDUCATION FOR WOMEN EMPOWERMENT

### MISSION

1. To ensure consistency of updated curriculum to the changing demands of the fashion industry by ensuring continuous interactions with its stakeholders.
2. To ensure an environment conducive to student-learning process, backed by state of the art infrastructure, facilities and extensive academic activities to always remain at the cutting edge of technology and management practices.
3. To cultivate the spirit of creativity, innovation along with best professional practices and ethics.
4. To disseminate knowledge and skills related to the field by conducting short term training programs for the society to equip them with skills that provide opportunities for self employment.
5. To sensitize students and society towards traditional textile crafts and costumes

### BRIEF DISCRIPTION

Diploma is offered in the field of Fashion Technology. In three years of diploma course students are given sufficient knowledge of various fields of fashion technology and designing. Like elements of designing, principles of designing, colour theories, textures, fibres, yarns, knitting, weaving, dyeing, ornamentation, textiles and costumes of India and world, motifs, manufacturing processes, pattern making, production planning, quality control, merchandising, fashion marketing, retail management, fashion forecasting, and use of computers in fashion industry.

**After completion of diploma student may go for degree programs of National Institute of Fashion Technology, through lateral entry procedure.**

### ADMISSION

- Eligibility- Class 10<sup>th</sup> pass+PPT
- Admission procedure - through online counselling.
- Admission criteria- PPT and CLC Merit base 10<sup>th</sup> level on the basis of remaining seats after PPT counselling merit basis
- Intake capacity - 60 seats, reservation as per government rules.
- Duration of the program- three year [six semester]

### PLACEMENTS AND CAREER ADVANCEMENT

- Students selected and got admitted in following NIFT  
Renu Yadav- NIFT Mumbai- 2016  
Shriya Rai- NIFT Hyderabad and 2016  
Ruchika Namdeo-NIFT Kannur. 2016  
Rinki thakur –NIFT-Rai Bareilly 2017  
Mansi Patil-NIFT, Mumbai-2018  
Janhvi Parihar-PEARL ACADEMY, Mumbai-2018

## **DEPARTMENT OF FASHION TECHNOLOGY**

---

- Students pursuing degree programs of Fashion and Design in various colleges of Baraktullah university
- Students employed in following garment industries  
Crossroad Clothing ltd.  
Indira Exports- Indore
- Employed as trainer in-FAB ART COLLEGE, MMKSY BOUTIQUE  
ITI- Hoshangabad, ITI- Bhopal, NVTI,CRISP- Bhopal and in NGO projects
- Most of the pass outs are self employed, running their own training centers, boutiques, design houses.

### **Core subjects**

- Students learn following subjects through systematic steps and procedures
- Textile and textile art and design, Fashion theories and illustrations- manual and on computer
- Pattern making, marker planning and modelling- manual and on computer
- Cutting and construction techniques
- Entrepreneurship and unit management, marketing and merchandising,
- Indian costumes, style reading, product development
- Communication and personality development
- Industrial/Field internship/project work in any area of the field

### **LABORATORY DETAILS**

- Resource centre and designing lab- Design books, Magazines, catalogues, Journals, Project reports.
- Special machine lab- Juki SNLS, over lock and special purpose machines, Computerized embroidery machine.
- Drafting,pattern making and Draping lab- Drafting Tables,tools and equipments
- Textile lab-weaving Loom, Equipments for dyeing printing and painting
- Computer lab and Smart class- Equipped with lastes i-5 computers with graphic design facility, with patten design and illustration software.

### **INDUSTRAL VISITS**

- Chanderi, Maheshwar, Bhairavgarh for sensitizing about traditional fibre dyeing handloom weaving, fabric dyeing and printing.
- Pratibha exports and indira exports, Indore- Garment industries
- Local handicraft and handloom fairs, exhibitions, fashion shows, printing units and market.
- Visit to Edinberg, UK under International project UKLERI – 2014-2016
- Tribal museum, manav sangrahalaya etc.

### **EXPERT LECTURES**

- "Career in Fashion" by Famous Designer Mumtaz Khan
- "Apparel Quality control in garment industry" by Mr kapiMadhukar,ATDC- Bhopal
- "Visual merchandising and presentation in apparel store" by Ms. Senha Gupta, Merchandising manager, pantaloons, DBMall, Bhopal
- "silk mark awareness workshop" by Indian silk mark board,
- "Cutting and stitching of men's jacket" by tailor Mr. Muckbool
- "Personality skin and hair care" by Ms. Shilpa, director, VLCC
- "Scope of Fashion Communication" by Dr. Archana Jain
- "Fashion and e-commerce" by Ms.Aekta Kapoor, director Fashion 101.com, New Delhi
- "Dance and Indian Culture" by famous kathak dance Ms. Namrata Ray
- "Basic draping techniques" by Dr.Renu Jain, professor, College of Excellence, Bhopal etc .

**DEPARTMENT OF FASHION TECHNOLOGY**

**FACULTY**

SNO	NAME	DESIG.	QUALIFICATION	EXPERIENCE	EXPERTISE
1	Anju Chourasia	Sr. lect.& incharge HOD	MSc,Dip.In FSD,MBA [Marketing]	23yrs [approx]	Fashion principles, Design & Illustrations, Marketing and Merchandising
2	Aarti Laad	Sr. Lect.	MSc, Dip.In CDDM MSc. (Fashion Design) MA(Sociology) Diploma in fine Arts	23yrs [approx]	Textiles, pattern making, product development, Fashion communication
3	Sangeeta Soni	Sr.Lect.	MA, Dip.In CDDM MSc (Fashion Design)	23yrs [approx]	Laundry Sc., Traditional Indian Costume & embroidery Gar. construction

**Comm. Skills Faculty**

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
1.	Dr. Swati Shrivastava	Lect.	Ph.D.	23 years	Ph.D.	English

**SUPPORTING STAFF**

S NO	NAME	DESIG.	EXPERIENCE	QUALIFICATION
1	Seema Devak	Tech.Astt.	26yrs[approx]	MA,Dip.In CDDM, ITI cutt.& tailoring
2	Alka Hedao	Tech.Astt.	21yrs[approx]	Dip.in CDDM,ITLebroidery
3	Karuna Upadhyay	Tech.Astt.	21yrs[approx]	MA, Dip.In CDDM
4	Kavita sulia	Tech.Astt.	07yrs[approx]	MA, Dip.In CDDM
5	Kavita Verma	Lab Tech.	21yrs[approx]	MA, Dip.In CDDM

## **ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN**

---

### **1. VISION:**

“PROFESSIONALLY COMPETENT SKILLED MANPOWER IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN”

### **2. MISSION:**

- M1. Ensure professional education consistent to the changing needs.
- M2. Create a conducive environment focusing student centric learning.
- M3. Cultivate the spirit of creativity and innovation, with emphasis on ethical practices and environmental sustainability.

### **3. Brief introduction of Department -**

The Department of Architecture and Interior Design is one of the oldest departments of the institute. The course was started along with inception of the institute in 1964 as Department of Architecture, later on the Interior Design part was also added to make it more specialized to suit the demands of the construction industry, and the name was changed to Department of Architecture and Interior Design in 2006-07. The pass out students of this institute are working in various Government and private organizations.

Department is equipped with smart classrooms, CAD lab, Design studio, language lab to keep pace with latest technology trends. Practical oriented teaching learning process is supported by site visits, market surveys, guest lectures and also participation of students in various competitions and exhibitions. Career counseling and personality grooming sessions are organized for students from time to time.

### ***After completing the course -***

The interested students may obtain a degree equivalent to B.Arch through correspondence course from IIA Mumbai which enable them to run their own firms.  
Get admission in second year B.E.(Civil Engineering) through lateral entry.  
Become eligible for NATA entrance exam for getting admission in B.Arch course.  
Become an entrepreneur in the field of interior design

### **4. ADMISSION CRITERIA**

Minimum Qualification 10<sup>th</sup> (High School With Mathematics & Science as compulsory subjects)

- a) Admission through Pre Polytechnic Test (PPT) conducted by PEB, Bhopal ([www.peb.mp.gov.in](http://www.peb.mp.gov.in)).
- b) College Level Counselling based on qualifying exam marks.

### **5. PLACEMENT**

After completing the three years Diploma course the students get employed in the following fields:-

Offices of practicing Architects & Interior Designers  
Government construction departments as draughtsman  
Builders & Colonizers  
As junior faculty in computer training institutes  
Stage designing, film set & TV set designing

## ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

### 5 COURSE DETAILS:

Course Objective:

The objectives of the present course structure are to train the students in the following fields:

Architectural Design & Drawing

Computer Aided Drafting

Interior Design & Detailing

Building Construction

Site Surveying & Cost Estimation of Buildings

Computer aided 3-D Modeling & animation of Buildings

Landscape design.

<p><b>I-Semester</b>            Basic Design            Architectural Graphics-I            Introduction to Personal Computers            Building Materials -I            Model making Workshop            Professional Activities</p>	<p><b>II-Semester</b>            Design-I            Architectural Graphics-II            Construction – I            Mathematics            Communication Skill            Professional Activities</p>
<p><b>III-Semester</b>            Design-II            Building Materials -II            CAD -I            History Of Architecture            Surveying &amp; Leveling            Professional Activities</p>	<p><b>IV-Semester</b>            Design-III            Building Construction - II            Estimating Costing &amp; Professional Practice            Building Services-I            CAD – II            Traininig            Professional Activities            Physics (Optional)</p>
<p><b>V-Semester</b>            Working Drawing            Design – IV            Furniture Design            Building Services – II            Specifications            Professional Activities            Chemistry (Optional)</p>	<p><b>VI-Semester</b>            Design Project            Environmental Planning &amp; Landscape Design            Entrepreneurship            Training            Professional Activities</p>

**ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN**

**6 LABORATORY**  
**A. COMPUTER LAB**

MAJOR EQUIPMENTS		WEEKLY UTILIZATION		NAME OF THE TECHNICAL STAFF
HARDWARE	SOFTWARE	NAME OF THE SUBJECT Semester: ODD/EVEN	NO. OF HOURS	
COMPUTERS	Auto CAD	CAD I (ODD)	09	NITIN SONKUSRE AKHIL VERMA
LAPTOP	3DS MAX	SURVEY (ODD)	01	
OVER HEAD PROJECTER	REVIT	CAD II (EVEN)	05	
SCANNER	SketchUP PRO	DESIGN-I (EVEN)	02	
PHOTO COPIER	GIS BASIC	DESIGN-I (EVEN)	04	
INTERACTIVE BOARD	V-RAY FOR MAX	DESIGN-II (ODD)	06	
INTERACTIVE PANNEL	V-RAY FOR SketchUP PRO	DESIGN-II (EVEN)	05	
INTERACTIVE PADS	Auto Desk Sketch Book	DESIGN-III (EVEN)	08	
DOCUMENT PRESENTER	MS OFFICE	DESIGN-IV (ODD)	08	
		WORKING DRAWING (ODD)		
		DESIGN PROJECT (EVEN)		

**B. 3-D PRINTER LAB**

MAJOR EQUIPMENTS	WEEKLY UTILIZATION		NAME OF THE TECHNICAL STAFF
	NAME OF THE SUBJECT SEMESTER:ODD/EVEN	NO. OF HOURS	
DESKTOP 3D PRINTER ULTIMAKER 2 GO PORTABLE PRUSA i3 3D PRINTER DESKTOP COMPUTERS A0 Size Full Color Scanner cum Plotter	MODEL MAKING WORKSHOP (ODD) BASIC DESIGN (ODD) DESIGN (All SEMESTER)	15	NITIN SONKUSRE

**ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN**

***C.MODEL MAKING WORKSHOP***

MAJOR EQUIPMENTS	WEEKLY UTILIZATION		NAME OF THE TECHNICAL STAFF						
	NAME OF THE SUBJECT SEMESTER:ODD/EVEN	NO. OF HOURS							
<table border="1"> <tr> <td>MODELS OF BUILDING COMPONENTS</td> <td rowspan="3">MODEL MAKING WORKSHOP (ODD) BASIC DESIGN (ODD) DESIGN (All SEMESTER)</td> <td rowspan="3">06 06 15</td> <td rowspan="3">KIRAN SHARMA AKHIL VERMA</td> </tr> <tr> <td>WOOD WORKING/BUILDING POWER TOOL</td> </tr> <tr> <td>MODEL MAKING TOOLS</td> </tr> </table>	MODELS OF BUILDING COMPONENTS	MODEL MAKING WORKSHOP (ODD) BASIC DESIGN (ODD) DESIGN (All SEMESTER)	06 06 15	KIRAN SHARMA AKHIL VERMA	WOOD WORKING/BUILDING POWER TOOL	MODEL MAKING TOOLS			
MODELS OF BUILDING COMPONENTS	MODEL MAKING WORKSHOP (ODD) BASIC DESIGN (ODD) DESIGN (All SEMESTER)				06 06 15	KIRAN SHARMA AKHIL VERMA			
WOOD WORKING/BUILDING POWER TOOL									
MODEL MAKING TOOLS									

***D.SURVEY LAB***

MAJOR EQUIPMENTS & SOFTWARE	WEEKLY UTILIZATION		NAME OF THE TECHNICAL STAFF									
	NAME OF THE SUBJECT SEMESTER:ODD/EVEN	NO. OF HOURS										
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL STATION</td> <td rowspan="6">SURVEY(ODD)</td> <td rowspan="6">05</td> <td rowspan="6">KAMLESH SONI</td> </tr> <tr> <td>GIS ADVANCED</td> </tr> <tr> <td>CHAIN SURVEY EQUIPMENTS</td> </tr> <tr> <td>COMPASS SURVEY EQUIPMENTS</td> </tr> <tr> <td>PLANE TABLE INSTRUMENTS</td> </tr> <tr> <td>LEVELLING EQUIPMENT- DUMPY LEVEL</td> </tr> </table>	TOTAL STATION	SURVEY(ODD)	05	KAMLESH SONI	GIS ADVANCED	CHAIN SURVEY EQUIPMENTS	COMPASS SURVEY EQUIPMENTS	PLANE TABLE INSTRUMENTS	LEVELLING EQUIPMENT- DUMPY LEVEL			
TOTAL STATION	SURVEY(ODD)				05	KAMLESH SONI						
GIS ADVANCED												
CHAIN SURVEY EQUIPMENTS												
COMPASS SURVEY EQUIPMENTS												
PLANE TABLE INSTRUMENTS												
LEVELLING EQUIPMENT- DUMPY LEVEL												

***E. RESOURCE CENTRE***

DESCRIPTIONS	WEEKLY UTILIZATION		NAME OF THE TECHNICAL STAFF						
	NAME OF THE SUBJECT SEMESTER:ODD/EVEN	NO. OF HOURS							
<table border="1"> <tr> <td>DEPARTMENTAL LIBRARY</td> <td rowspan="3">ALL SEMESTERS</td> <td rowspan="3">10</td> <td rowspan="3">KIRAN SHARMA BHAWANA JAISWAL</td> </tr> <tr> <td>PHOTO LIBRARY IMAGE PROCSSING</td> </tr> <tr> <td>REPROGRAPHIC FACILITIES</td> </tr> </table>	DEPARTMENTAL LIBRARY	ALL SEMESTERS	10	KIRAN SHARMA BHAWANA JAISWAL	PHOTO LIBRARY IMAGE PROCSSING	REPROGRAPHIC FACILITIES			
DEPARTMENTAL LIBRARY	ALL SEMESTERS				10	KIRAN SHARMA BHAWANA JAISWAL			
PHOTO LIBRARY IMAGE PROCSSING									
REPROGRAPHIC FACILITIES									

## ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

### 7 RECENT INDUSTRIAL VISITS & GUEST LECTURES

S.NO.	TITLE	DATE	NAME OF EXPERT / COORDINATOR
1	WS on Material Used in Interior Design	16,17 April 2017	New Leaf by Ms. Rinky Parihar
2	Site Visit (Nirupam Campus Bhopal)	20 & 27 April 2017	Ms. Keerti Garg
3	WS on Fusion 360	6,7 APRIL 17	Mr. Lalit Bhagat(Auto Desk)
4	Workshop On Model Making	11 MARCH 2017	Mr. Kamlesh Verma
5	Best Project Competition	20 MAY 2017	Mr. Sunil Joshi
6	Orientation Programme	17 AUG 2018	Ms. Sushma Gokhale
7	Modular Kitchen	31.8.17	Ms. Keerti Shrivastav
8	Quality Control And Testing Material	18/11/2017	Mr. Sunil Joshi
9	Contemporary Trends By Interior Design	12 TO 17 FEB 2018	MANIT,Bhopal
10	GIS Workshop	22 TO 24 MARCH 2018	Sathis M.,ESRI
12	Conclave With Apprentice An Interfection With Architects& Interfection With Architech	12.04.2018	Ar. Akshay Salular, Ar. Sandhya Jain
13	Wall Painting In Bal Sudhar Grah	14,15 MARCH 2018	Dr. Aradhna Hans Dr. Charumitra Patil

### 8 FACULTY & STAFF –

SNO	NAME & DESIGNATION	QUALIFICATION	EXPERIENCE
1	Dr. Aradhana Hans (I/C HOD)	Ph.D.	25 Years
2	Smt. Sushma Gokhale (Sr.Lect.)	M.Tech.	23 Years
3	Dr. Prateek Manke (Sr.Lect.)	Ph.D.	23 Years
4	Smt. Keerti Garg (Sr. Lect.)	M.Tech.	23 Years
5	Smt. Charumitra Patil (Lect )	Ph.D.	15 Years
6	Smt. Kiran Sharma (Tech Asstt)	D.Arch, IIA	22 Years
7	Mr. Nitin Sonkusre (Jr. Inst)	D.Elex	22 Years
8	Smt. Bhawana Jaiswal (Photographer)	M.A. (Diploma in Photography)	17 Years
9	Shri Kamlesh Soni	ITI, B.com,	25 Years
10	Shri Akhil Verma	Vocational course in Basic Electronic Tech. B.A.	15 Years

### Comm. Skills Faculty

S.N	Name	Desig.	Qualification	Year of Exp.	Qualification	Expertise
1.	Dr. Swati Shrivastava	Lect.	Ph.D.	23 years	Ph.D.	English

## परिभाषाएँ

इस हैण्डबुक में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

1. "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.);
2. "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है आल इंडिया काउंसिलिंग फार टेक्नीकल एजुकेशन एक्ट 1987 (1987 का स.52) के अधीन स्थापित ऑल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एजुकेशन;
3. "नियमित विद्यार्थी" से अभिप्रेत है शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में अध्ययनरत ऐसा विद्यार्थी जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत चल रहें सेमिस्टर में नियमित अध्ययन हेतु पात्र हैं तथा उसके द्वारा उस सत्र में निर्धारित शिक्षण शुल्क संस्था में जाम किया गया हों;
4. "पूर्व छात्र" से अभिप्रेत है ऐसा विद्यार्थी जो पूर्व में शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत रहा हो एवं वर्तमान के रूप में अध्ययनरत रहा हो एवं वर्तमान में नियमित विद्यार्थी नहीं हों;
5. " डिप्लोमा पाठ्यक्रम " से अभिप्रेत है शासकीय महिला पॉलीटेकनिक शिवाजी नगर भोपाल (म. प्र.) में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम;
6. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है इस संस्था में प्राचार्य पद पर कार्यरत व्यक्ति;
7. "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है संस्था में संचालित विभिन्न पद पर कार्यरत व्यक्ति;
8. "व्याख्याता" से अभिप्रेत है इस संस्था में व्याख्याता के पद पर कार्यरत व्यक्ति;
9. "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
10. "शैक्षणिक विभाग" से अभिप्रेत है इस संस्था का शैक्षणिक विभाग;
11. "मुख्यलिपिक" से अभिप्रेत है इस संस्था में मुख्य लिपिक पद पर कार्यरत कर्मचारी;
12. "प्रभारी अधिकारी" से अभिप्रेत है संस्था का ऐसा अधिकारी/कर्मचारी जिसे प्राचार्य द्वारा किसी कार्य विशेष को करने के लिए अधिकृत किया जाता है
13. "जनभागीदारी समिति" से अभिप्रेत है म.प्र. शासन के दिनांक 12 जुलाई 2001 में राजपत्र प्रावधानों के तहत इस संस्था के लिए गठित एवं पंजीकृत समिति
14. "हितग्राही" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति / संस्थान एवं संगठन जिनका हित इस संस्था से जुड़ा है
15. "परीक्षा" से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल म.प्र. द्वारा जारी समय सारणी अनुसार आयोजित परीक्षा
16. "सूचना" से अभिप्रेत है किसी भी प्रारूप में कोई सामग्री जिसमें सम्मिलित है, अभिलेख (रिकार्ड्स), विलेख (दस्तावेज), मेमोज(ज्ञापन), ई मेल्स, सम्मतिराय (ओपिनियन्स), सलाह-परामर्श (एडव्हाइस), प्रेस प्रकाशनी (प्रेस रिलीजेज), विज्ञप्तियां (सरक्यूलर्स), आदेश लॉग बुक्स, सविदाएं (कान्ट्रैक्ट्स) प्रतिवेदन (रिपोर्ट्स) कागजात (पेपर्स) नमूने (सेम्पल्स), माडल्स डाटा सामग्री जो किसी इलेक्ट्रानिक फार्म में धारित हो और किसी प्रायवेट निकाय के संबंध में सूचना जिन पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा पहुंच हो सकती है (अभिगम्य है) (which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force)
17. "अभिलेख" में सम्मिलित है—
  - अ. कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपी (मेन्यूस्क्रिप्ट) और फाइल
  - ब. कोई माइक्रोफिल्म (microfilm), माइक्रोफिश (microfiche) और दस्तावेज/विलेख की फैंसीमाइल कॉपी (facsimile copy)
  - स. ऐसी माइक्रोफिल्म में प्रस्तुत की गई किसी चित्र / प्रतिमा/मूर्ति/बिम्ब का कोई पुनः प्रस्तुतीकरण/पुनः रचना।
  - द. कोई अन्य सामग्री जो कम्प्यूटर द्वारा अथवा किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा प्रस्तुत की गई।
18. सतत् शिक्षा से अभिप्रेत है इस संस्था द्वारा नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त लघु अवधि के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जो संस्था के संकाय सदस्यों द्वारा संस्था की जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुरूप सतत् शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से ही संचालित किये जाते हैं।

संस्था से संबंधित विभिन्न वेब साइट्स की सूची

[www.gwpbpl.ac.in](http://www.gwpbpl.ac.in)

[www.gwpbpl.org](http://www.gwpbpl.org)

[www.dte](http://www.dte)

[www.rgpv diploma](http://www.rgpv.diploma)

[www.aicte](http://www.aicte)

[www.PEB](http://www.PEB)

## प्रवेश सम्बंधी जानकारियाँ

---

प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होता है:-

प्रवेश हेतु विज्ञापन:- मध्यप्रदेश में पोलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ष जून माह में संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।

अंतिम चरण के उपरान्त स्थान रिक्त होने पर संस्था द्वारा भी प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है।

प्रवेश प्रक्रिया:- विज्ञापन में दर्शाई गई तिथियों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, आबंटन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना होती है इस हेतु कियोस्क एवं सहायता केन्द्रों पर जाकर कार्यवाही करना होती है। सर्वप्रथम पंजीयन कराना होता है एवं पंजीयन पर्ची प्राप्त करना होता है।

पंजीयन के उपरान्त जिस संस्था एवं ब्रान्च में प्रवेश लेना चाहता है उस संस्था एवं ब्रांच को प्राथमिकता देते हुए वरियता क्रम में अन्य संस्थाओं एवं ब्रांच को दर्ज करता है। इसके उपरान्त उसे च्वाइस फिलिंग की पर्ची प्राप्त होती है।

च्वाइस फिलिंग के उपरान्त विज्ञापन में दर्शाई तिथि पर आबंटन सूची जारी की जाती है एवं जिस उम्मीदवार को जहाँ प्रवेश मिला है उसका अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है।

आबंटन लेटर प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाते हैं। उसे सत्यापन पर्ची दी जाती है।

संस्था में उपस्थिति:- आबंटन पर्ची लेकर उम्मीदवार संस्था में उपस्थित होता है एवं संस्था स्तर पर उसके दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाता है एवं फीस जमा करने के लिए चालान तैयार दिया जाता है।

इस चालान से फीस भरने के उपरान्त चालान की प्रति (बैंक द्वारा पावती वाली) संस्था में प्रस्तुत करने पर उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है।

संलग्न:- पोलेटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश के नियम सन् 2018-19 हेतु

# कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया

सत्र : 2018–19

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 07 जून 2010 में उल्लेखित नियम-7(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुपालन में काउंसलिंग हेतु वर्ष 2018–19 के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

## काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु प्रमुख स्टेप

- निःशुल्क पंजीयन (NRI, IPS एवं CLC को छोड़कर) एवं सत्यापन सुविधा।  
(Free Registration and Verification Facility)
- पंजीयन के दौरान दस्तावेजों का ऑनलाईन ई-सत्यापन अथवा पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर।  
(Online e-verification of documents Or Documents verification at Authorized Help Centers by the candidates)
- प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान।  
(Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)
- आवंटन (Allotment)
- दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था आवंटित हुई है एवं पंजीयन उपरांत ऑनलाईन ई-सत्यापन पर्ची प्राप्त नहीं हुई है अथवा जिन्होंने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराया है) Documents Verification at authorized Help Centers (Candidates those allotted Private Institutions and who does not get Online e-verification Slip after Registration or not verified from the help centers before choice filling.)
- आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश। (Reporting and Admission in Allotted Institute)

## काउंसलिंग में सम्मिलित होने के माध्यम

- इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एन्ड्रायड फोन के माध्यम से कहीं से भी।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों से (सूची वेबसाइट [dte.mponline.gov.in/dtempcounselling.org](http://dte.mponline.gov.in/dtempcounselling.org) पर उपलब्ध रहेगी)

## काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यम

- इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
- अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान।

- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

### पंजीयन (Registration)

- पंजीयन के समय आधार नंबर अनिवार्य है आधार नंबर न होने की स्थिति में ही आधार पंजीयन नामांकन नंबर (16 डिजीट) का उपयोग अभ्यर्थी कर सकेंगे। यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी आधार बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अभ्यर्थी को पंजीयन के समय अथवा सत्यापन के पूर्व तक आधार का सत्यापन करवाना होगा, आधार सत्यापन हेतु आधार में पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से अथवा बायोमैट्रिक मशीन द्वारा एमपीऑनलाईन के कियोस्क अथवा काउंसलिंग के अधिकृत सहायता केन्द्रों से भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया दस्तावेजों के सत्यापन के समय तक पूर्ण करना अनिवार्य है।
- समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये निःशुल्क (NRI, IPS एवं CLC को छोड़कर) ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केवल एक बार पंजीयन करवाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
- अभ्यर्थी को पंजीयन की कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित जानकारी अपने साथ रखना आवश्यक होगी:-  
प्रवेश परीक्षा(जेईई(मेन)/पीपीटी/सी-मेट/ नाटा/गेट/जीपेट) की अंकसूची, हाई स्कूल(10वीं) परीक्षा की अंकसूची, अर्हकारी परीक्षा (यथा दसवीं/बारहवीं/डिप्लोमा/स्नातक) की अंकसूची, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), किसी भी तरह का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र (यथा SC/ST/OBC/S/FF/TS/HC/NCC/BPL/ClassIV/JK) (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी, आधार नंबर (काउंसलिंग संबंधित सचूनाओ एवं अस्थाई पासवर्ड प्राप्ति हेतु)
- पंजीयन प्रक्रिया उपरांत अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बदल लें एवं गोपनीय रखें। पासवर्ड काउंसलिंग के दौरान कभी भी बदला जा सकता है। पासवर्ड भूलने की स्थिति में वेबसाइट [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर फॉरगेट पासवर्ड (Forgot Password) लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 3 of 10

दस्तावेजों का ऑनलाईन ई-सत्यापन

### (Online e-verification of documents)

- ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर/आधार नंबर/समग्र आईडी नंबर के आधार पर ऑनलाईन-सत्यापन किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई-वेरिफाइड हो जाती है तो उन्हें पंजीयन एवं ई-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी।
- अभ्यर्थी की समस्त जानकारी ऑनलाईन-सत्यापन न होने की स्थिति में केवल पंजीयन की पर्ची जारी की जायेगी, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन प्राथमिकता चयन के पूर्व अथवा आवंटन उपरांत (केवल निजी संस्था आवंटित अभ्यर्थियों को) निर्धारित तिथि में सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक होगा।
- काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीयन के समय अर्हकारी परीक्षा के अंको का विवरण, जन्म तिथि एवं श्रेणी सावधानी पूर्वक भरे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई

इस जानकारी के आधार पर प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर एवं अर्हकारी परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के अकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाकर आवंटन जारी किया जाता है। अतः आवंटन पश्चात् सत्यापन की स्थिति में पंजीयन के समय भरी गई जानकारी में त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी को गलत जानकारी प्रदाय करने के कारण वैधानिक कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।

प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान

### **(Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)**

■ अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 50 (जिन पाठ्यक्रमों में 50 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, शेष पाठ्यक्रमों में कम-से-कम एक) अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।

■ अभ्यर्थी को प्राथमिकताक्रम चयन को लॉक करने के लिये काउंसलिंग शुल्क एवं आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

■ अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते हैं।

■ प्राथमिकताक्रम (Choice) लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को, शुल्क का भुगतान करते समय एक One Time Password (OTP) पासवर्ड उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि करने पर भुगतान संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 4 of 10

की कार्यवाही पूर्ण होकर चयनित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

■ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) लॉक करने के लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

### **ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)**

■ मेरिट के अनुसार प्राथमिकताक्रम एवं आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटन किया जावेगा एवं आवंटन पत्र जारी होगा।

■ जिन पाठ्यक्रमों में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध है तथा अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का नियमानुसार विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करता है, तब उसे उच्च प्राथमिकता के लाभ का अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन के उपरांत नवीन आवंटन अनुसार संस्था/पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश प्राप्त करना होगा।

■ यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश अथवा अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि जप्त कर ली जावेगी।

### **दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)**

■ पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता चयन के

पूर्व अथवा आवंटन उपरांत अपने मूल दस्तावेजों का अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन एवं ई-दस्तावेज सत्यापन की परीक्षा प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।

- दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक हैं, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना आवश्यक नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी यदि सत्यापन में सुधार करवाना चाहते हैं तो वे पुनः सत्यापन संबंधी कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर करवा सकते हैं।
- प्राथमिकता चयन के पूर्व यदि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन नहीं हो सका है अथवा सहायता केन्द्रों पर नहीं कराया है एवं उन्हें निजी संस्था आवंटित हुई है ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर कराना आवश्यक होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के आभाव में अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगा।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 5 of 10

- जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किया जावेगा। आवंटन उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाएँ आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से नहीं हो सका है उन्हें निकटस्थ अधिकृत सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
- सत्यापन उपरांत Eligible/Not Eligible की पावती की जांच कर सुरक्षित रखें। Not Eligible की पावती प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी अपने वैद्य दस्तावेजों के साथ पाठ्यक्रमवार निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि के एक दिन पूर्व तक सहायता केन्द्रों में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों को पुनः सत्यापन करवाने के उपरांत आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग कर सकता है।
- ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र लाना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, तो अभ्यर्थी स्वयं ही प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

आवंटित संस्था में उपस्थिति, रिपोर्टिंग एवं प्रवेश

### **(Reporting and Admission in Alloted Institute)**

- अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में आवंटन पत्र के साथ-साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा।
- संस्था में दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी अपने पासवर्ड के माध्यम से रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थी संस्था से ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (Admission Slip) प्राप्त कर उसका सूक्ष्मता से अवलोकन अवश्य कर लें।
- अभ्यर्थी को सत्यापन के दौरान अयोग्य घोषित होने पर **Not Eligible** की पर्ची प्राप्त होगी।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 6 of 10

- **Not Eligible** अभ्यर्थी रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुपस्थित/**Not Eligible** अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी प्रवेशित अभ्यर्थियों के नाम को संस्था के जी2जी लॉगईन में उपलब्ध प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची से पुष्टि अवश्य कर लें।
- प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर "चेक कैंडिडेट स्टेटस" (Check Candidate Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते हैं।
- उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना होगा।
- अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट [www.afrcmp.org](http://www.afrcmp.org) देखें)

द्वितीय चरण की काउंसलिंग

### **(Second Phase Counselling)**

- प्रवेश परीक्षा आधारित प्रथम चरण काउंसलिंग उपरान्त रिक्त सीटों हेतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं हो सके अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं ले सके अथवा प्रथम चरण में जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त कर अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया हो सम्मिलित हो सकेंगे।
- अभ्यर्थी जो प्रथम चरण आवंटन पश्चात अपात्र घोषित किये गये हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी पंजीयन में दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सुधार कर द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।
- अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण/अर्हकारी परीक्षा आधारित चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

## आंतरिक ब्रांच परिवर्तन

### (Internal Branch Change)

केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रम हेतु

केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रम में केन्द्रीयकृत द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात् संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ही ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर ब्रांच के विकल्प प्रस्तुत संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 7 of 10

करने होंगे। ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में उनकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा।

संस्था स्तर काउंसलिंग

### (College Level Counselling)

- प्रदेश के सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के पश्चात् सीटें रिक्त रहने की स्थिति में संस्था स्तर की काउंसलिंग आयोजित की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी अपनी इच्छुक संस्था में निर्धारित तिथि में (संस्था स्तर काउंसलिंग हेतु पंजीयन उपरान्त) उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को पृथक से पंजीयन कराना अनिवार्य है तथा पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।
- काउंसलिंग के पोर्टल पर उपलब्ध संस्थावार रिक्तियों व समय सारणी का अवलोकन कर संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के साथ इच्छुक संस्था में निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

प्रवेश निरस्तीकरण

### (Admission Cancellation)

- किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही पाठ्यक्रमवार घोषित तिथियों में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग अवधि में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं।
- यदि किसी प्रकरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी

वापसी योग्य नहीं होगी।

- प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2018 के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी तथा प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 8 of 10

## विशेष सीटों पर प्रवेश की जानकारी

- शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश
- अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश
- संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश
- विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश

केवल बी.ई.(फुल टाईम)/पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है एवं विगत वर्ष में प्रवेश क्षमता के 30 प्रतिशत तक स्थानों पर प्रवेश हुए हैं, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें शिक्षण शुल्क छूट योजना में उपलब्ध रहेगी।
- शिक्षण शुल्क छूट योजनांतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण छूट दी जावेगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।
- यह योजना मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये है जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 6.0 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
- बी.ई.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये JEE (Main)-2018 तथा पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु PPT-2018 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से ही दिया जायेगा।

अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से इस योजना की अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध रहेगी।
- मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" {Admission (Reservation to Non-Resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011} के आधार पर स्वीकृत

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 9 of 10

पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (स्वयं, माता या पिता अनिवासी भारतीय हों) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित तिथि को केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जावेंगे।

- इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।

- अनिवासी भारतीय सीटों की काउंसलिंग पृथक से की जावेगी इस हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिये अधिकृत पोर्टल पर पृथक से पंजीयन कराकर पूर्व निर्धारित तिथि एवं स्थान को उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय-सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

**संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश**

केवल बी.ई./बी. एवं डी.फार्मसी/बी.आर्किटवे चर पाठ्यक्रमों के लिये

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया है।

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान उपलब्ध होंगे।

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में उम्मीदवारों का प्रवेश संस्था स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

- अभ्यर्थी को पंजीयन उपरान्त अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से करवाना होगा।

- पूर्वर्ती चरणों में जिन अभ्यर्थियों ने अपने समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया है उन्हें पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

- इन सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संस्था द्वारा जारी विज्ञापन तथा काउंसलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध तिथि को इच्छित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन पंजीयन तथा सत्यापन की पावती के साथ प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा।

- सर्वप्रथम प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की मेरिट तत्पश्चात् सीटें रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

- बी.आर्क. में नाटा-2018 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50-50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा एवं सीटें रिक्त रहने पर जेईई (मेन)-2018 पपेर-2 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50-50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

- संस्था अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में अपने पास न रखें।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Counselling 2018 Page 10 of 10

- इन सीटों को "केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरण" पूर्ण होने के उपरांत भरने की अनुमति होगी।

- यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हे परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

- इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या

संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय-सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।
- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/  
खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों  
(सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

- ऐसी संस्थाएँ जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/ भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेंगे।

- संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संबंधित दूतावास से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वह भारत में अध्ययन कर सकता है। नेपाल के अभ्यर्थियों को प्रमाणीकृत निवास प्रमाण पत्र (Passport or Citizenship card) भारतीय दूतावास काठमांडू, नेपाल या नेपाली दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

- सभी चयनित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों को विदेशों में भारतीय मिशन (Indian Missions Abroad) से वैद्य विद्यार्थी वीजा, प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं

संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

## उपस्थिति / ATTENDANCE

---

विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। 75 % से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोका जा सकता है। यद्यपि सेमेस्टर के दौरान विद्यार्थी को उसकी उपस्थिति कम होने पर व्याख्याता / विभागाध्यक्ष / कार्यालय द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है, किन्तु अभिभावकों के लिए यह उचित होगा कि वे अपने बालक की उपस्थिति / अनुपस्थिति की जानकारी स्वयं संस्था में उपस्थित होकर प्राप्त करते रहें।

## प्रोग्रेसिव टेस्ट

---

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्ययन योजना के अनुसार प्रति सेमेस्टर 02 प्रोग्रेसिव टेस्ट आयोजित किये जाये। विषय के व्याख्याता द्वारा आवश्यक समझने पर तीसरा टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है। इन तीनों टेस्ट में से जिन दो टेस्टों में अंक ज्यादा है उन्हें विद्यार्थी के अन्तिम परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किया जाता है। अतः विद्यार्थी के लिए यह उचित होगा की वे समस्त प्रोग्रेसिव टेस्ट में उपस्थित रहे। प्रोग्रेसिव टेस्ट हेतु विभाग के नोटिस बोर्ड पर सूचना जारी की जाती है।

## सेमेस्टर अंत की परिक्षा

---

प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार प्रैक्टिकल एवं थ्योरी परीक्षा आयोजित की जाती है।

यह परिक्षा प्रायः नवम्बर एवं दिसम्बर तथा मई एवं जून में आयोजित की जाती है। इन परिक्षाओं में भाग लेने हेतु विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म भरना होता है। जिसकी जानकारी राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वेब साईट [www.rgpv.edu](http://www.rgpv.edu) एवं संस्था अथवा विभाग के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

## औद्योगिक प्रशिक्षण

---

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। यह प्रशिक्षण अलग-अलग डिप्लोमा पाठ्यक्रमानुसार अलग-अलग अवधि का होता है। यह अवधि सामान्य तौर पर 2 से 4 सप्ताह तक होती है। इस दौरान विद्यार्थी को जिस संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। वही उपस्थित होकर कार्य अनुभव प्राप्त करना होता है।

प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी को प्रशिक्षण देने वाले संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने शैक्षणिक विभाग में प्रस्तुत करना होता है। साथ ही प्रशिक्षण का पूर्ण विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत करना होती है।

## शैक्षणिक भ्रमण

---

विद्यार्थी एवं शिक्षक की आपसी सहमति से शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किये जाते हैं।

इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण स्थानीय स्तर पर भी हो सकते हैं अथवा अन्य शहरों में स्थिति संस्थाओं के लिए भी हो सकते हैं गत वर्षों में संस्था के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा इस प्रकार के भ्रमण आयोजित किये गये हैं। इस प्रकार के प्रकार के भ्रमण पर वहन होने वाला व्यय विद्यार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। रेल यात्रा में नियमानुसार कन्सेशन विद्यार्थी को प्राप्त होता है।

शैक्षणिक भ्रमण के उपरान्त विद्यार्थियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

## रेल्वे कन्सेशन

---

शैक्षणिक भ्रमण एवं विद्यार्थियों द्वारा गृह नगर वापसी हेतु भारतीय रेल द्वारा विद्यार्थियों को यात्रा टिकिट के मूल्य में रियायत दी जाती है, इस हेतु विद्यार्थियों को एक निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र भारतीय रेल के स्थानीय टिकिट घर पर देना होता है। इस संस्था के विद्यार्थी भी इस प्रकार की रियायत प्राप्त करने के पात्र हैं, इस हेतु संस्था द्वारा विद्यार्थी के माँगने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

## पुस्तकालय/ग्रन्थालय

---

संस्था के पुस्तकालय में संस्था के ई-बुक भी संस्था के पुस्तकालय में उपलब्ध है। लगभग 40000 पुस्तक, संदर्भग्रंथ एवं उपयोगी पत्रिकाएँ उपलब्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी को 02 पुस्तकें 15-15 दिन के लिए दी जाती है।

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों को पूरे सेमेस्टर के लिए कोर्स की समस्त पुस्तकें दी जाती है।

## छात्रवृत्ति

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण संलग्न है।

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को राज्य/केंद्र शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग की छात्राएँ उपरोक्त योजनांतर्गत समाजिक, आर्थिक, निशक्तता एवं प्रावीण्यता के आधार पर विभिन्न छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकती है। राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समय-समय पर जारी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु लागू नवीन छात्रवृत्ति योजनाओं को भी सम्मिलित कर छात्राओं को योजनानुसार लाभ प्रदान किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति हेतु अर्हता एवं शर्तें राज्य/केन्द्र शासन के आदेशानुसार परिवर्तनशील है।

**छात्रवृत्ति से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारियाँ निम्नानुसार है ।**

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना एवं अनु. जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की स्वीकृत तीन वर्षों की जानकारी	43
2.	महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त छात्रवृत्ति की संकलित जानकारी	44-46
3.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के फीस से संबंधित जानकारी	47-49
4.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	50-52
5.	छात्रवृत्ति आवेदन करते समय आवेदन के साथ लिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची	53
6.	एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति आवेदन का प्रारूप	54-57
7.	एस.सी./एस.टी. स्कीम की ऑनलाईन डीटेल	58-61
8.	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का प्रारूप	62-63
9.	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नियम की सम्पूर्ण जानकारी	64-70
10.	योग्यता छात्रवृत्ति आवेदन का प्रारूप	71-76
11.	विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना स्कीम की ऑनलाईन डीटेल	77-83
12.	गाँव की बेटा योजना स्कीम की ऑनलाईन डीटेल	84-85
13.	ए.आई.सी.टी.आई. की प्रगति एंड सक्षम छात्रवृत्ति	86-91
14.	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	92-95

①

शासकीय महिला पौलीटेकनिक महाविद्यालय भोपाल शिवाजी नगर म0प्र0

संस्था में संचालित एस.सी./एस.टी./अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की छात्राओं की स्वीकृत संख्या एवं राशि

क्रमांक	जाति	वर्ष	छात्राओं की संख्या	राशि
1.	विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2014-2015	05	37500.00
2.	विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2015-2016	04	30000.00
3.	विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2016-2017	04	30000.00
1	अनुसूचित जाति	2014-2015	69	742434.00
2	अनुसूचित जाति	2015-2016	63	642436.00
3.	अनुसूचित जाति	2016-2017	48	568599.00
1	अनुसूचित जनजाति	2014-2015	15	169342.00
2	अनुसूचित जनजाति	2015-2016	22	228228.00
3	अनुसूचित जनजाति	2016-2017	14	154976.00
1	अन्य पिछड़ा वर्ग	2014-2015	113	1195050.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	2015-2016	116	1231390.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	2016-2017	120	1178200.00



**महाविद्यालय में उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी संकलित जानकारी**

क्रमांक	छात्रवृत्ति का नाम	पात्रता	आय सीमा	विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि	संलग्न दस्तावेजों की सूची	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	जारीकर्ता विभाग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	2.50 लाख तक पूर्ण छूट एवं 2.50 से 3.00 लाख तक आधी छूट	(1) सभी अवापसी योग्य (नान रिफंडेबल) शुल्क (2) छात्रवृत्ति दर छात्रावासी-380 गैरछात्रावासी-230	पूर्व संस्थान की टी.सी., म0प्र0 का मूलनिवासी, आय, जाति प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, पूर्व वर्ष की अंकसूची ( अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद ,आधारकार्ड, छात्रा की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी,समग्र आई डी.	प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल <b>scholarship portal. mp.nic.in</b>
2.	अनुसूचित जन-जाति वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	असीमित आय	(1) सभी अवापसी योग्य (नान रिफंडेबल) शुल्क (2) छात्रवृत्ति दर छात्रावासी-380 गैरछात्रावासी-230		प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल <b>scholarship portal. mp.nic.in</b>
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	वार्षिक आय 3,00,000/- तक	(1) सभी अवापसी योग्य (नान रिफंडेबल) शुल्क (2) छात्रवृत्ति दर छात्रावासी -450/- गैरछात्रावासी-230/-	पूर्व संस्थान की टी.सी., म0प्र0 का मूलनिवासी, आय, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, पूर्व वर्ष की अंकसूची ( अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ),अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद ,आधारकार्ड, छात्रा की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी, समग्र आई डी	प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल <b>scholarship portal. mp.nic.in</b>
4.	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु पोस्ट छात्रवृत्ति मैट्रिक	अर्हकारी परीक्षा में 50%	2.00 लाख से अधिक न हो ।	शिक्षण शुल्क, वास्तविक अधिकतम 10000/- रु0 प्रतिवर्ष दर छात्रावासी-235, गैर छात्रावासी-140,	आय-प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र ( शपथ पत्र ) म0प्र0 का मूल निवासी पूर्व वर्ष की अंकसूची ( अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ),अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद ,आधारकार्ड, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी	---	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल <a href="http://www.scholars hips.gov.in">www.scholars hips.gov.in</a>
5.	योग्यता छात्रवृत्ति	अर्हकारी परीक्षा में 60% अंकों के साथ	---	75/-रु0 प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि हेतु	म0प्र0 का मूल निवासी छात्रावास वार्डन का प्रमाण-पत्र पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	---	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल

6.	योग्यता एवं साधन शिष्यावृत्ति	अर्हकारी परीक्षा में 45% अंकों के साथ	परिवार की वार्षिक आय 24,000/-	75/-रु0 प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि हेतु	म0प्र0 का मूल निवासी छात्रावास वार्डन का प्रमाण-पत्र पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	---	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल
7.	विश्व बैंक योग्यता छात्रवृत्ति	अर्हकारी परीक्षा में 60% अंकों के साथ	---	---	म0प्र0 का मूल निवासी छात्रावास वार्डन का प्रमाण-पत्र पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	---	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल
8.	सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं शिष्यावृत्ति योजना	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 80% अंकों के साथ	समस्त स्त्रोंतो से मातापिता/अभिभावक की वार्षिक आय 75000/- से अधिक न हो। तथा परिवार के स्वामित्व में 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।	अन्य पिछड़ा वर्ग के समतुल्य छात्रवृत्ति	म0प्र0 का मूल निवासी, एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूमि संबंधी प्रमाण-पत्र पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	प्राचार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल Scholarship portal. mp.nic.in
9.	सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों हेतु विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना (नवीन)	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ	वार्षिक आय 54000/-	शिक्षण-शुल्क में छूट	म0प्र0 का मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	प्राचार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल Scholarship portal. mp.nic.in
10.	गाँव की बेटे	12 वी कक्षा की परीक्षा गाँव से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण	---	500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए	अंकसूची, गाँव की बेटे का प्रमाण-पत्र, गाँव के निवासी का सरपंच का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड	---	शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल Scholarship portal. mp.nic.in
11.	निशक्त छात्रवृत्ति योजना (राज्य सरकार )	विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण	वार्षिक आय 96000/-	छात्रवृत्ति दर गैर छात्रावासी (सामा./अ.पि.वर्ग हेतु)-250 छात्रावासी दर- 500 गैर छात्रावासी ( अनु. जाति /अनु. जनजाति)-65 छात्रावासी-60	अंकसूची,विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बैंक बचत खाता की फोटो कापी, दो पासपोर्ट साईज फोटो पूर्व वर्ष की अंकसूची, (अगली कक्षा में प्रमोट होने के साक्ष्य के रूप में ) अध्ययनरत वर्ष के शिक्षण-शुल्क एवं छात्रावास शुल्क की रशीद, आधार कार्ड	---	कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय भोपाल संभाग भोपाल www.socialjustice.mp.gov.in/Login/sLogin.aspx

12.	निशक्त: छात्रवृत्ति (भारत सरकार)	पोस्ट मैट्रिक कोर्स में प्रवेशित निशक्त छात्राएँ	1.80 लाख से अधिक न हो	700/-प्रतिमाह की दर से (छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ) 400/-प्रतिमाह ( अन्य के लिए ) पाठयक्रम शुल्क अधिकतम 10,000/- प्रतिवर्ष वापसी योग्य	31 अगस्त प्रति शैक्षणिक सत्र के पूर्व ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन की हार्ड कापी प्राचार्य से अनुमोदित करवाकर भेजे । आधार कार्ड	निशक्तता का प्रमाण पत्र , पूर्व कक्षा में उत्तीर्ण । अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र,	निशक्तता कार्य विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार  (www.nhfdc.nic.in.)
13.	ए.आई.सी.टी.ई की छात्रवृत्ति	प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति नोट:- केवल प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु	8 लाख से कम पारिवारिक वार्षिक आय	एक परिवार से दो छात्राओं तक रू0 तीस हजार तक शिक्षण में छूट एवं छात्रवासी छात्राओं हेतु रूपये 2000/- प्रतिमाह भत्ता 10 माह तक का  नोट:-सक्षम छात्रवृत्ति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता को पात्रता	10 वी/ 12 वी की अंक सूची की छायाप्रति , आय प्रमाण पत्र, एडमिशन की कापी, शिक्षण शुल्क की छाया प्रति ,बैंक पास की छायाप्रति , आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ,प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र	प्राचार्य	ए.आई.सी.टी.ई
14.	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना छात्रवृत्ति	6 लाख रुपये से कम पारिवारिक वार्षिक आय	पूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट	म0प्र0 का मूलनिवासी, आय प्रमाण पत्र, 12 वी (माध्यमिक शिक्षा मंडल ) की 75 प्रतिशत 12 वी (माध्यमिक शिक्षा मंडल ) की 75 प्रतिशत शिक्षण शुल्क की छाया प्रति ,बैंक पास की छायाप्रति , आधार कार्ड,	प्राचार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल <b>Scholarship portal.</b> mp.nic.in

नोट:-

1. महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्रा उपरोक्त छात्रवृत्तियों की पात्र नहीं होगी ।
2. सभी छात्रवृत्तियों हेतु छात्रा का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है ।
3. ऑनलाईन आवेदन किए जाने वाली छात्रवृत्तियों के आवेदन की अंतिम तिथि की सूचना बेवसाईट पर दर्शाई तिथि अनुसार परिवर्तित हो सकती है । अतः अंतिम तिथि हेतु बेवसाईट चैक करें । एवं अन्य छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि प्रवेश प्राप्ति के एक माह के अंदर अथवा 10 दिसम्बर तक जो भी पहले हो ।
4. छात्राएँ केवल एक छात्रवृत्ति हेतु ही आवेदन की पात्र होगी किन्तु क्रमांक 01 से 10 तक की छात्रवृत्तियों के साथ क्रमांक-11 पर उल्लेखित छात्रवृत्ति (राज्य सरकार की निशक्त छात्रवृत्ति योजना )हेतु भी आवेदन किया जा सकेगा ।



## शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय

शिवाजी नगर, भोपाल - 462016 (म.प्र.)

फोन न - 0755-2576839, फैक्स - 2576840

ईमेल - [info@gwpbpl.org](mailto:info@gwpbpl.org) वेब साइट - [www.gwpbpl.org](http://www.gwpbpl.org)

स्थापना 1963-64

क्रमांक/शामपॉमभो/छात्र./2016/

भोपाल, दिनांक /09/2016

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
डी-ब्लाक,  
पुराना सचिवालय भोपाल म0प्र0

विषय:- वर्ष 2016-2017 की फीस कैंपिंग बावत ।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के फीस स्ट्रेक्चर की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु फीस स्ट्रेक्चर का विवरण निम्नानुसार है :-

1. अनुसूचित जाति SC

क्रमांक	विभाग का नाम	शिक्षण शुल्क	अन्य फीस	परीक्षा फीस
1.	फैशन टेक्नॉलाजी			
	प्रथम वर्ष	7500 /-	1034 /-	1560 /-
	द्वितीय वर्ष	7500 /-	370 /-	1360 /-
2.	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट			
	प्रथम वर्ष	7500 /-	1034 /-	1260 /-
	द्वितीय वर्ष	7500 /-	370 /-	1160 /-
3.	कम्प्युटर साईंस एंड इंजीनियर			
	प्रथम वर्ष	7500 /-	1034 /-	1060 /-
	द्वितीय वर्ष	7500 /-	370 /-	1360 /-
4.	इलेक्ट्रानिक्स एंड टेली0			
	प्रथम वर्ष	7500 /-	1034 /-	1060 /-
	द्वितीय वर्ष	7500 /-	370 /-	1160 /-

5.	आर्कीटेक्चर एंड इंजीनियर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500/- 7500/- 7500/-	1034/- 370/- 370/-	1160/- 1060/- 960/-
----	--	----------------------------	--------------------------	---------------------------

## 2. अनुसूचित जन जाति ST

1.	फैशन टेक्नॉलाजी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500/- 7500/- 7500/-	1034/- 370/- 370/-	1560/- 1360/- 1360/-
2.	मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500/- 7500/- 7500/-	1034/- 370/- 370/-	1260/- 1260/- 1260/-
3.	कम्प्युटर साईंस एंड इंजीनियर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500/- 7500/- 7500/-	1034/- 370/- 370/-	1060/- 1360/- 1360/-
4.	इलेक्ट्रानिक्स एंड टेली0 प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500/- 7500/- 7500/-	1034/- 370/- 370/-	1060/- 1160/- 1160/-
5.	आर्कीटेक्चर एंड इंजीनियर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500/- 7500/- 7500/-	1034/- 370/- 370/-	1160/- 1060/- 960/-

प्राचार्य,  
शा0महिला पोली0महाविद्यालय  
भोपाल



# शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय

शिवाजी नगर, भोपाल - 462016 (म.प्र.)

फोन न - 0755-2576839, फैक्स - 2576840

ईमेल - [info@gwpbpl.org](mailto:info@gwpbpl.org) वेब साइट - [www.gwpbpl.org](http://www.gwpbpl.org)

स्थापना 1963-64

क्रमांक/शामपॉमभो/छात्र./2016/

भोपाल, दिनांक

/09/2016

प्रति,

सहायक संचालक,  
पिछड़ा वर्ग अल्प संख्यक कल्याण आयोग,  
मछली घर के पास भोपाल म0प्र0

विषय:-वर्ष 2016-2017 की फीस कैंपिंग बावत ।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के फीस स्ट्रेक्चर की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु फीस स्ट्रेक्चर का विवरण निम्नानुसार है :-

## 1. अन्य पिछड़ा वर्ग OBC

1.	फैशन टेक्नॉलाजी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500 /- 7500 /- 7500 /-	1034 /- 370 /- 370 /-	1560 /- 1360 /- 760 /-
2.	मार्केटिंग ऑफिस मैनेजमेंट प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500 /- 7500 /- 7500 /-	1034 /- 370 /- 370 /-	1260 /- 1160 /- 1260 /-
3.	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500 /- 7500 /- 7500 /-	1034 /- 370 /- 370 /-	1060 /- 1360 /- 1360 /-
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेट्रिक्स प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500 /- 7500 /- 7500 /-	1034 /- 370 /- 370 /-	1060 /- 1160 /- 1160 /-
5.	आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	7500 /- 7500 /- 7500 /-	1034 /- 370 /- 370 /-	1160 /- 1060 /- 960 /-सब

प्राचार्य,  
शा0महिला पॉली0महाविद्यालय  
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
जनजातीय कार्य विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-18/2017/25-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

आयुक्त  
आदिवासी विकास  
म0प्र0 भोपाल

विषय:- छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन योजना क्रमांक 2676 की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- आपकी यू0ओ0टीप क्रमांक 14309 दिनांक 27/06/2017.

----

मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 2 दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा अनुमोदन अनुसार "छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन" को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन एवं वित्तीय आकार केन्द्रांश राशि रूपये 43985.31 लाख (रूपये चार सौ उन्चातीस करोड पचयासी लाख इक्तीस हजार मात्र) एवं राज्यांश राशि रूपये 14661.76 लाख (रूपये एक सौ छियातीस करोड इक्साठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्यमान योजना के स्वरूप एवं उसके विस्तार की समीक्षा की जावे।

2. योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी जाती है:-

- योजना का नाम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालयीन" बजट में किया जावे।
- अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की गयी है उनके शुल्क की शत प्रतिशत बतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा रूपये 3.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 6.00 लाख की जाती है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा रूपये 2.50 लाख तक का व्यय भार वहन किया जायेगा। वार्षिक आय सीमा रूपये 2.50 से अधिक रूपये 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य स्तर में किया जावे।
- माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी 1694 अनुसार कक्षा 01 से पी.एच.डी. तक शासकीय एवं शासकीय स्वचालित पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षण दी जाना है। घोषणा के आधार पर "छात्रवृत्ति- कक्षा 11वीं, 12वीं एवं

FAS/PAITHANKAR

2

महाविद्यालयीन' योजना अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति व  
विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जावे।

- वर्तमान में समूह 01 के छात्रावासी विद्यार्थियों को निर्वाह भत्ता के रूप में भारत सरकार से रुपये 1200/- प्रति माह प्रति विद्यार्थी प्राप्त हो रहा है जिसे वृद्धि कर राज्यांश मद से रुपये 300/- अतिरिक्त अर्थात् कुल रुपये 1500/- प्रति माह 10 माह के लिये किया जावे।

3. उक्त व्यय मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0102 अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ 41 छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ 002 छात्रवृत्ति एवं मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 0802 केन्द्र क्षेत्र योजना अनुसूचित जनजाति उप योजना (सबस्कीम) 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ 41 छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ 002 छात्रवृत्ति मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(ए)1/2013/ई/चार, दिनांक 10 अप्रैल 2015 द्वारा वित्तीय सलाहकार को पृष्ठांकन के प्रदत्त अधिकार के तहत यू0ओ0क्रमांक 369/2017/एफएएस/25 दिनांक 08/01/2018 द्वारा दी गई सहमति के तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,

तथा आदेशानुसार

*(हस्ताक्षर)*

(महेन्द्रपाल सिंह निरंजन)

वित्तीय सलाहकार

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-18/2017/25-2/33

भोपाल, दिनांक 08/01/18

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. बवालियर।

-3-

क्र.सं./पी.एम.एस./2017-18/961  
प्रति,

- 1 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक  
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,  
विन्ध्याचल भवन भोपाल
- 2 समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक  
जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.

विषय:-पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 2676 में आंशिक संशोधन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई बाबत।

संदर्भ:-म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय का पत्र क्र.एफ 12-18/2017/25-2  
दिनांक 8.1.2018

विषयांकित के संबंध में लेख है कि विभाग द्वारा संचालित पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निम्नानुसार आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. योजना का नाम पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन" रखा गया है।
2. शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षण दी जाना है। तदनुक्रम में "छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन" योजना अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। अर्थात् शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता होने पर पूर्ण छात्रवृत्ति एवं पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
3. अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक फीस का भुगतान किया जाना है। उनके शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा ₹0 3.00 लाख से बढ़ाकर ₹0 6.00 लाख की गई है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा ₹0 2.50 लाख तक का व्यय वहन किया जाएगा। वार्षिक आय सीमा 2.50 से अधिक ₹0 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य मद से किया जाना है। वार्षिक आय सीमा ₹0 6.00 लाख से अधिक आय वर्ग वाले विद्यार्थियों को कोई भी शिक्षण शुल्क/छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
4. वर्तमान में समूह 01 के छात्रावासी विद्यार्थियों को निर्वाह भत्ता के रूप में भारत सरकार से ₹0 1200/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी प्राप्त हो रहा है जिसे वृद्धि कर राज्यांश मद से 300/- ₹0 अतिरिक्त अर्थात् कुल 1500/- ₹0 प्रति माह दस माह के लिए किया गया है।

कृपया "छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन" में छात्रवृत्ति पोर्टल 20 एवं समग्र पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।

(दीपाली रस्तोगी)  
आयुक्त  
जनजातीय कार्य विभाग  
मध्यप्रदेश

1

## छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (फार्म ) आवेदन करते समय छात्राओं से लिये जाने वाले दस्तावेजों की क्रमवार सूची

1. शिक्षण शुल्क की रशीद की छाया प्रति
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)की छाया प्रति यदि टी.सी डुप्लीकेट है तो एफ.आई.आर की कॉपी ( टी.सी.की रंगीन फोटो कापी )
3. छात्रवृत्ति फार्म भरते समय कक्षा 10 वी का रोल नंबर ही डाले । प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय कक्षा 10 वी ,12 की मार्कशीट की छायाप्रति गेप हो तो शपथ पत्र, काउंसिलिंग स्लिप की छाया प्रति (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष सभी के लिए )
4. छात्रा का स्वयं का बैंक खाता खुला होना चाहिए एवं बैंक पास बुक की प्रथम पेज की छाया प्रति । ( रंगीन फोटो कापी )
5. आधार कार्ड की छाया प्रति । ( रंगीन फोटो कापी )
6. आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति । ( रंगीन फोटो कापी )
7. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति । ( रंगीन फोटो कापी )
8. म0प्र0 का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति । (रंगीन फोटो कापी )
9. द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्राओं को पूर्व कक्षा की मार्कशीट की छाया प्रति एवं कक्षा 10 वी ,12 की मार्कशीट छायाप्रति
10. समग्र आई.डी. की छाया प्रति

छात्रवृत्ति फार्म के साथ सभी दस्तावेज उपरोक्तानुसार क्रमवार जमे हो । उक्त सभी दस्तावेज ~~बना~~ अनिवार्य है । उक्त सभी दस्तावेजों की फोटो कापी साफ दिखे काली फोटो कापी नहीं हो । जो फोटो कापी रंगीन मांगी है । वह रंगीन ही आवश्यक है । छात्रवृत्ति फार्म लॉक करने के पश्चात ही हार्ड कापी में जमा करें ।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों को विभाग के छात्रवृत्ति प्रभारी अधिकारी सत्यापित कर प्रस्तुत करें ।

  
प्रभारी छात्रवृत्ति



राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अन्य पिछड़ा वर्ग)

**आतलाड, आवदन पत्र का प्रारूप**  
एस.सी./एस.टी./ओ.के.सी. छात्रवृत्ति डेप्ट.

नोट :- अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने जिले के कार्यालय कलेक्टर, जिला BHOPAL के पिछड़ा वर्ग कल्याण

**Fresh Application** Backward Classes & Minorities Welfare Dept.  
Madhya Pradesh Scholarship Portal 2.0  
Integrated Scholarship Application form- Post Metric Scholarships for year 2016-17

Applicant Unique ID: 2467402 Scheme : Post Metric Scholarship for OBC

Application ID: 2275879 First Time Lock Date: 05/12/2016

Version No: 2 Verification Code: 9902 Lock Date: 21/03/2017 IP Address: 122.168.228.253

**Instructions for colleges & offices:** Please check all information in each section and place a tick mark in on the box. Institute will use the first Box with I sign and Sanctioning Office will use second box with O sign in it.

Institute : [20138],1 Womens Polytechnic College, Bhopal District: BHOPAL Course : DIPLOMA [PPT]/Electronics and Telecommunication/3rd Year [7308]

**Old Scholarship Details(Before 2014-15)** No Post Metric Scholarship was sanctioned Last Year.

Details	Application Form	10th Board Data	Samagra Data	Counselling Data
Name	SUSHMITA PAWAR	SUSHMITA PAWAR	SUSHMITA BUWADE	
Father Name	SUDHIRKUMARPAWAR	SUDHIR KUMAR PAWAR		
DOB	10/01/1997	10/01/1997	10/01/1997	
Gender	Female[महिला]		Female [महिला]	
Category	OBC [अ.पि.व.]	OBC [अ.पि.व.]	OBC [अ.पि.व.]	
Religion : Hindu	Special Category : No	Voter ID : UTE1144450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aadhar No. : 380246534006			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2. Caste Certificate for OBC :** Issued by :SUB DIVISIONAL OFFICE Multai, MPVide No: 11024 Dated :28/07/2007

**3. Academic Details As Reported by Student :** Enrollment No. : 12038E03057 Admission Date :22/08/2016

Details	As Reported by Student	Counselling Details
Admission Mode	Direct Admission	
Institute	[20138],1 Womens Polytechnic College, Bhopal District: BHOPAL	
Course	DIPLOMA [PPT]/Electronics and Telecommunication/3rd Year [7308]	
Academic Year	2016-17	
Hostel Admission	Non-Hosteler(Day-Scholar)	

**4. 10th Year Exam Details :** Exam Name: DIPLOMA FOURTH SEMESTER, Exam Date : 06/08/2014

School/Institute :GOVT WOMENS POLYTECHNIC COLLEGE BHOPAL Result : PASS

**School Scholarship Details Generated From Samagra Portal**

Name :	SUSHMITA BUWADE	Category :	OBC	DOB :	10/01/1997	Gender :	Female
Father Name :	---	Aadhar No.:	380246534006	BPL :	नहीं	CWSN :	No

School Scholarships details not available

**4. 10th Board Details** 10th Board Name: MP Board of Secondary Education, Year: 2011-12, Roll No.: 126616170

**5. Total Annual Family Income:** Rs.72476/- Income Certificate : issued by-TEHSILDAR MULTAI BETUL ON : 21/09/2015

Father/ Husband Occupation : Farmer / Agriculture, Income: 72476/-

Mother Occupation : House Wife ,Income: 0/-

Other Income : Rs.0/-

**6. Contact Details** Mobile No : 9424479797 PAWARSUSHMITA1997[AT]GMAIL[DOT]COM

Correspondance Address : 321 AT PO CHANDORA KHURD TAH MULTAI DIST BETUL M PCHANDORA KHURD CHANDORA JANPAD PANCHAYAT MULTAI BE, District :- BETUL



Generated by Scholarship Portal as on 21/03/2017

9

नोट :- अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने जिले के कार्यालय कलेक्टर, जिला BHOPAL के पिछड़ा वर्ग कल्याण में संपर्क कर सकते हैं।

Application Backward Classes & Minorities Welfare Dept.  
Madhya Pradesh Scholarship Portal 2.0  
Integrated Scholarship Application form- Post Matric Scholarships for year 2016-17



Applicant Unique ID: 2467402 Scheme : Post Metric Scholarship for OBC

Application ID: 2275879 First Time Lock Date: 05/12/2016

Version No: 2 Verification Code: 9902 Lock Date: 21/03/2017 IPAddress: 122.168.228.253

Permanent Address : 321 AT PO CHANDORA KHURD TAH MULTAI DIST BETUL M PCHANDORA KHURD CHANDORA  
JANPAD PANCHAYAT MULTAI BE, District :- BETUL

7. Bank Account No: 3580700848, IFS Code: CBIN0281357, CENTRAL BANK OF INDIA, MULTAI, BETUL



8. Change History NIL



**ALERT:** Details of Applications already registered by using same Samagra ID :

Nil

**ALERT:** Details of Applications already registered by using same 10th Board Roll No :

Nil

**आवेदक एवं पालक की घोषणा - Declaration From Student and his Parent**

SUSHMITA PAWAR S/o SUDHIRKUMARPAWAR and SUDHIRKUMARPAWAR hereby declare that Board Roll No, Samagra ID, caste certificate and income certificate, bank account details and all other information given in the application form is complete and correct. We have not submitted any other application for scholarship for current academic year in any other institution in India. We also undertake that, if any information given above is found to be false at any stage, entire amount of scholarship will be recovered and competent authority will be free to initiate legal penal action against us.

हम SUSHMITA PAWAR S/o SUDHIRKUMARPAWAR और SUDHIRKUMARPAWAR घोषणा करते हैं

कि उपरोक्त जानकारी सही है एवं समय आईडी, कक्षा १० बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट, जाति तथा आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट तथा अन्य विवरण पूर्ण एवं सही है। आवेदक ने पोर्टल पर इस सत्र में स्कोलरशिप के लिए केवल एक ही आवेदन किया है। अगर उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है तो यह आवेदन निरस्त हो जावेगा एवं राशि वापिस ली जावेगी एवं हमारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यदि आप गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृत्ति लेते हुआ पाए गये तो हमारी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा छात्रवृत्ति की जितनी रकम दी गई है उसे वापस ले ली जावेगी। इस तरह के क्रिया कलाप से समन्वित विद्यार्थी को हमेशा के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत, किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (डीवार) कर दिया जावेगा तथा विद्यार्थी को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जावेगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावेगी।

(Signature of Parent / पालक / पिता के हस्ताक्षर)

Date

(Signature of Student / आवेदक के हस्ताक्षर)

**Declaration from Institute Head & Institute Scholarship Nodal Officer**

We hereby, certify that the student is enrolled in the approved course of Govt MP. All the details filled by the student in the above application have been verified with the original documents and have been found to be correct and authentic. He has passed last exam and is eligible for sanction of scholarship. College has ORIGINAL COPY of his School Leaving Certificate. His attendance is regular, as per the instructions of Government

We have verified all details as per scheme guidelines & instructions and recommend him for sanction of scholarship as per the rules. We also undertake that, if the above student does not attend the classes regularly or discontinues the course, We will immediately report the matter to the concerned district office so that his scholarship can be put on hold. In case any information of found to be incorrect, Government will be free to initiate action against the institute.

(Signature)  
Scholarship Nodal Officer

(Signature)  
HOD

Date

(Signature)  
Director/Principal



Generated by Scholarship Portal as on 21/03/2017

अपलोडेड प्रमाण-पत्र पूर्व परीक्षा की अंकसूची

10

नोट :- अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने जिले के कार्यालय कलेक्टर, जिला BHOPAL के पिछड़ा वर्ग कल्याण में संपर्क कर सकते हैं।

sh Application

Backward Classes & Minorities Welfare Dept.  
Madhya Pradesh Scholarship Portal 2.0

Integrated Scholarship Application form- Post Metric Scholarships for year 2016-17



Applicant Unique ID: 2467402

Scheme : Post Metric Scholarship for OBC

Application ID: 2275879

First Time Lock Date: 05/12/2016

Version No: 2

Verification Code: 9902

Lock Date: 21/03/2017

IPAddress : 122.168.228.253

Your 10th Board Details 10th  
Board Name: MP Board of  
Secondary Education, Year: 2011-  
12, Roll No.: 126616170



Generated by Scholarship Portal as on 21/03/2017

अपलोडेड प्रमाण पत्र –जाति प्रमाण पत्र

11


टिप :- अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने जिले के कार्यालय कलेक्टर, जिला BHOPAL के पिछड़ा वर्ग कल्याण में संपर्क कर सकते हैं।

Application Backward Classes & Minorities Welfare Dept.  
Madhya Pradesh Scholarship Portal 2.0  
Integrated Scholarship Application form- Post Matric Scholarships for year 2016-17



Applicant Unique ID: 2467402 Scheme : Post Metric Scholarship for OBC  
Application ID: 2275879 First Time Lock Date: 05/12/2016  
Version No: 2 Verification Code: 9902 Lock Date: 21/03/2017 IP Address: 122.168.228.253

Caste Certificate Details Issued by :SUB DIVISIONAL OFFICE Multai, MPVide No: 11024 Dated :28/07/2007



(Signature of Parent / पिता के हस्ताक्षर)  
*S.K. Pawa*

Date

(Signature of Student / आवेदक के हस्ताक्षर)  
*Lishmika Pawa*

नोट : 1. छात्र / छात्रा के आवेदन फॉर्म पर यदि कक्षा 10 वी का विवरण उपलब्ध नहीं होने पर संस्था प्रमुख छात्र/छात्रा के 10 वी की मूल प्रति (मार्कशीट) से जानकारी सत्यापित करे।

## राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति)

12

### Details of the Scheme

 Scheme Name: Post Metric Scholarship for SC (Department Post Metric Scholarship for SC)

 Objectives/उद्देश्य

अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति

 पात्रता

सभी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 250000 रुपए तक है वे 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, एवं जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय २५००००-३००००० रुपए तक है वे 50% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे

 लाभ

छात्रवृत्ति का लाभ विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय, संस्था, कोर्स, कोर्स फीस, फीस कैपिंग आदि पर निर्भर करती है

 प्रक्रिया

विद्यार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, जेंडर, समग्र आई डी, मोबाइल नंबर इत्यादि की आवश्यकता होगी!

 How to Apply/Get Benefit of the Scheme???

- Required Documents With Samagra ID, Current College Code, Branch Code, Your Photo.
- If not Registered on the Portal Register (/Public/Register.aspx)
- If Registered, Log in Here (/s/Login.aspx)
- Get Your Application Status (/s/Login.aspx)
- Reports (/s/Login.aspx)

 आदेश/निर्देश

Circulars

Orders

Events

Forms

News

13

Today (/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=1) This Week  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=7) This Month  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=30) View / Search All  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=0)

## राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)



### Details of the Scheme

 **Scheme Name:** Post Metric Scholarship for ST (Department Post Metric Scholarship for ST)

 **Objectives/उद्देश्य**

अनुसूचित जन जाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति

 **पात्रता**

सभी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 250000 रुपए तक है वे 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, एवं जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय २५००००-३००००० रुपए तक है वे 50% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे

 **लाभ**

छात्रवृत्ति का लाभ विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय, संस्था, कोर्स, कोर्स फीस, फीस कैपिंग आदि पर निर्भर करती है

 **प्रक्रिया**

विद्यार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, जेंडर, समग्र आई डी, मोबाइल नंबर इत्यादि की आवश्यकता होगी!

 **How to Apply/Get Benefit of the Scheme???**

- Required Documents With Samagra ID, Current College Code, Branch Code, Your Photo.
- If not Registered on the Portal Register (/Public/Register.aspx)
- If Registered, Log in Here (/s/Login.aspx)
- Get Your Application Status (/s/Login.aspx)
- Reports (/s/Login.aspx)

 **आदेश/निर्देश**

[Circulars](#)

[Orders](#)

[Events](#)

[Forms](#)

[News](#)

15

Today (/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=1) This Week  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=7) This Month  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=30) View / Search All  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=0)

शुभम एवम्  
श्रीमती शमामा

Registration Details

Application Id	MP201617002650802		
Applied for Scheme	POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS		
State of Domicile	MADHYA PRADESH	Scholarship Category	Post Matric
Name of Student	Shama Ashfaq	Date of Birth (DD/MM /YYYY)	17/09/1999
Gender	Female	Religion	Muslim
Community/Category	GENERAL	Fathers Name	Mohammad Ashfaq
Mothers Name	Masarrat	Annual Family Income	48000
Aadhar Number	988267885377	Mobile Number	9993957493
Email Id	shamaashfaq03@gmail.com	Day Scholar/Hosteler	Day Scholar

Academic Details

Present Institute	GOVT. WOMEN POLYTECHNIC COLLEGE SHIVAJI NAGAR - BHOPAL		
Present Class/Course	DIPLOMA ENGG.(COMPUTER SCIENCE)	Class Start Date	25/07/2016
Present Year	2	Mode of Study	Regular/Full Time
Previous Board/University Name	RAJIV GANDHI PRODOYOGIKI VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL		
Previous Class/Course Name	DIPLOMA(COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING)-2YEARS	Previous Passing Year	2016
Previous Class(%)	79.0	10th Class Roll No.	156338698
10th Class Passing Year	2015	Board Name	BOARD OF SECONDARY EDUCATION, BHOPAL
12th Class Roll No.		12th Class Passing Year	0
12t Class Board Name			

Basic Details			
Orphan	NO	Is Disabled	NO
Type of Disability -		Percentage of Disability -	
Marital Status	Un Married	Parents Profession	Others
IFSC Code	SBIN0003863	Bank Account Number	352275632183
Contact Details			
State	MADHYA PRADESH	District	BHOPAL
Block	Huzur		
House No./Street No.etc	H. No. 14 Nahid Manzil Daud Ahmed Gali Hawa Mahal Road Imami Gate	Pin Code	462001

## केन्द्र सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक)

### SCHEME OF 'POST-MATRIC SCHOLARSHIP' FOR STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES

#### 1. BACKGROUND

The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides that a post-matric scholarship scheme for meritorious students from minority communities would be implemented.

#### 2. OBJECTIVE

The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students belonging to economically weaker sections of minority community so as to provide them better opportunities for higher education, increase their rate of attainment in higher education and enhance their employability.

#### 3. SCOPE

The scholarship is to be awarded for studies in India in a government or private higher secondary school/college/university, including such residential institutes of the Government and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned. It will also cover technical and vocational courses in Industrial Training Institutes/ Industrial Training Centres affiliated with the National Council for Vocational Training (NCVT) of classes XI and XII level.

#### 4. ELIGIBILITY

Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income of whose parents/guardian from all sources does not exceed Rs.2.00 lakh.

#### 5. DISTRIBUTION

Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain and Zoroastrians (Parsis) have been notified as minority communities under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992. The distribution of scholarship among the States/Union Territories will be made on the basis of population of the above notified minorities in the States/ Union Territories of Census 2001.

#### 6. EARMARKING FOR GIRL STUDENTS

30% of scholarship will be earmarked for girl students. In case sufficient number of eligible girl students are not available, then the balance earmarked scholarships may be awarded to eligible boy students.

#### 7. SELECTION PROCEDURE

Unlike scholarship for SC and ST, there are a fixed number of scholarships for minorities is small and limited. Students from BPL families, having the lowest income shall be given preference in the ascending order. The renewal applications would be fully exhausted before the new applications are considered.

**8. DURATION**

Scholarship will be provided for the entire course. However, maintenance allowance will be given for a period not exceeding 10 months only in an academic year.

**9. RATE OF SCHOLARSHIP**

Actual financial assistance will be provided for admission & course /tuition fee and maintenance allowance as given below subject to a maximum ceiling indicated against item concerned:

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Item	Hosteller *	Day scholar
1	Admission and tuition fee for classes XI and XII.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs.7,000 p.a.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs.7,000 p.a.
2	Admission and course/tuition fee for technical and vocational courses of XI and XII level. (Includes fees/charges for raw materials, etc.)	Actual subject to a maximum ceiling of Rs.10,000 p.a.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs.10,000 p.a.
3	Admission and tuition fee for under-graduate, post graduate.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs.3,000 p.a.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs.3,000 p.a.
4	Maintenance allowance for 10 months only in an academic year (Includes expenses for study material, etc.)		
	(i) Classes XI and XII including technical and vocational courses of this level.	Rs.380 p.m.	Rs.230 p.m.
	(ii) Courses other than technical and professional courses at under-graduate and post graduate level	Rs.570 p.m.	Rs.300 p.m.
	(iii) M. Phil and Ph.D. (For those researchers who are not awarded any fellowship by university or any other authority)	Rs.1200 p.m.	Rs.550 p.m.

\* Hostellers include students who are not staying in hostel of the school/institute concerned but are staying as paying guest or in rented accommodation in towns/cities which are not the places where their parents reside.

**10. IMPLEMENTING AGENCIES**

The scheme will be implemented through the State Government/ Union Territory Administration.

**11. CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP**

- (i) Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income of whose parents/guardian from all sources does not exceed Rs.2.00 lakh. Unlike scholarship for SC and ST, there are a fixed number of scholarships for minorities and hence preference for selection has been laid down. Students from BPL families, having the lowest income shall be given preference in the ascending order. The renewal applications would be fully exhausted before the new applications are considered.
- (ii) The award will be discontinued if a student fails to secure 50% marks or equivalent grade in the previous final examination. Scholarship will not be awarded for more than the normal period of time taken to obtain Certificate/Degree/M. Phil Degree/Doctorate Degree.
- (iii) Scholarships will not be given to more than two students in a family.
- (iv) The students should be regular in attendance for which the yardstick will be decided by the competent authority of the school/college/university.
- (v) Migration of students from one Institution to another would not normally be allowed during the course of the academic year except under exceptional circumstances and in the interest of the student's academic career.
- (vi) If a student violates any other term and condition of the scholarship, the scholarship may be suspended or cancelled. The State Government/Union Territory Administration can also directly cancel the award if duly satisfied of the reasons of violation of these regulations governing the scheme.
- (vii) If a student is found to have obtained a scholarship by false statement/certificates, his/her scholarship will be cancelled forthwith and the amount of the scholarship paid shall be recovered, at the discretion of the concerned State Government/Union Territory Administration.
- (viii) Course fee/tuition fee and maintenance allowance will be credited directly to the students' bank account.
- (ix) The State Government/Union Territory Administration will maintain a separate account and records relating to the funds received from the Ministry and they will be subjected to inspection by the officers of the Ministry or any other agency designated by the Ministry.
- (x) The student obtaining benefits under this scholarship scheme shall not be allowed to avail of benefits under any other scholarship scheme implemented by State Government/UT Administration, for the same purpose.
- (xi) The State Government/ Union Territory Administration shall constitute a Committee of the departments implementing such scholarship schemes to ensure that the students from the minority community, who may also belong to SC/ST/OBC category, does not avail scholarship from other sources for the same purpose and avail only from one source.

- (xii) The fund for distribution of scholarships in subsequent years will be released after receiving the utilization certificate for the previous year.
- (xiii) The scheme will be evaluated at regular intervals by the Ministry or any other agency designated by the Ministry and the cost of the evaluation study will be borne by the Ministry under the provision of the scheme.
- (xiv) The State/Union Territory shall place all relevant details of financial and physical achievements on their website.
- (xv) The regulations can be changed at any time at the discretion of the Government of India.
- (xvi) The concerned State Government/Union Territory Administration will be responsible for processing and scrutinizing the applications submitted by the students (as per the work flow opted) and send the proposal of eligible students online to this Ministry for sanction of the scholarships as per timelines.

## **12. ADMINISTRATIVE EXPENSES**

As the magnitude of data to be entered and processed would be enormous as the scheme gets implemented over the years, there would be a need to engage qualified skilled personnel right from the beginning to ensure that the data based computerised systems are operational. Qualified skilled personnel possessing requisite expertise to operate computer programme designed for this purpose, enter, process, analyse, monitor, retrieve and transfer data should be engaged on contract basis as per need. Data provided by the States/Union Territories will be maintained and managed by the Ministry with personnel of similar expertise to be engaged on contract basis.

A provision not exceeding 2% of the total budget will be made to meet the administrative and allied costs viz. expenditure of the States/Union Territories and the Ministry for office equipments including computers and accessories, furniture, printing of application forms, advertisements, engagement of personnel, etc. This provision will also be used for evaluation and monitoring of the scheme, through outside reputed institutions/agencies engaged by the Ministry of Minority Affairs, Government of India and the State Governments/Union Territory Administrations.

## **13. RENEWAL OF SCHOLARSHIP**

The scholarship, once awarded, may be renewed during the next academic year of the course on the production of certificate that the student has secured 50% marks in the examination.

## **14. ANNOUNCEMENT OF SCHEME**

The scheme will be announced by the concerned State Government/Union Territory Administration well in time, through advertisements in the leading language newspapers and local dailies and by using other suitable publicity media.

## **16. PATTERN OF FINANCIAL ASSISTANCE**

100% funding will be given by the Central Government to the State Government/Union Territory Administration.

**17. MONITORING & TRANSPARENCY**

The States/Union Territories implementing the scheme shall monitor the financial and physical performance of the scheme at the State/Union Territory level. For this purpose, an IT enabled monitoring mechanism shall be in place. The State/Union Territory will be required to furnish quarterly financial and physical progress reports to the Ministry. The State/Union Territory shall maintain year-wise details of the students receiving scholarship, indicating school/college/institute, location of school/college/institute, government or private, class, gender and new or renewal. The States/Union Territories shall place relevant physical and financial details in their official website.

**18. EVALUATION**

The monitoring of the financial and physical performance of the scheme will be evaluated by assigning evaluation/impact studies to reputed institutions/agencies by the Ministry of Minority Affairs, Government of India.

**19. PROCEDURE FOR APPLYING**

(i) The scheme is implemented through National Scholarship Portal (NSP). It is mandatory for all students to apply online on the website of this Ministry i.e. [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in).

(ii) The list of documents to be scanned & uploaded for both Fresh and Renewal Scholarships as under:

- a) Student Photo. (Mandatory).
- b) Institution Verification Form. (Mandatory).
- c) Self declaration of Income Certificate by the student. (Mandatory).
- d) Self declaration of community by the student. (Mandatory).
- e) In case of Fresh: Self Attested Certificate of 'Previous Academic Mark sheet' as filled in Form. (Mandatory).
- f) In case of Renewal: Self-Attested Certificate of Previous Year Marksheet as filled in the Form. (Mandatory).
- g) Fee Receipt of current course year. (Mandatory).
- h) Proof of Bank Account in the name of student. (Mandatory).
- i) Aadhaar Card (optional).
- j) Residential Certificate. (Mandatory).

\*\*\*\*\*

**INSTITUTION VERIFICATION FORM**

**Verification/information to be furnished by the Head of institution/college:**

It is certified that the information provided below by \_\_\_\_\_ who is admitted in \_\_\_\_\_ course for the academic session \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ is correct. He/ She is a hosteller/day scholars of the college.

Last year marks details:  
Fee details current year:

In case the information filled in these columns is not correct, then the institute should indicate that separately.

**For Renewal of Scholarship:**

It is certified that the student has not changed the course of study and/or the institution of the study for which the scholarship was originally awarded /has changed the course of study and/or institution with prior approval of the state government (Please strike out which is not applicable).

Please ensure the information given by you is factually correct. In case of any discrepancy noticed later, your application is likely to be rejected.

Date: \_\_\_\_\_ Signature of the head of the institution/college  
Place: \_\_\_\_\_ with official seal

- Note:
- (i) The verification by institution is mandatory for consideration of the application.
  - (ii) Students are directed to take the print out of 'Institution Verification Form' get it verified by their institution, scan & upload it", in order to apply for minority Scholarship.

**SELF DECLARATION OF MINORITY COMMUNITY BY  
STUDENTS UNDER POST MATRIC SCHOLORSHIP  
(CLASS XI AND ABOVE) MERIT-CUMMEANS  
SCHOLARSHIP SCHEME**

**DECLARATION**

I, \_\_\_\_\_ Son/Daughter/of \_\_\_\_\_  
Resident of (full address) \_\_\_\_\_

hereby declare that I belong to the \_\_\_\_\_  
(Muslims/Sikhs/Christians/Buddhists/Jains and Zoroastrians (Parsis)  
which is a notified minority community as per Section 2(c) of National  
Commission for Minorities Act, 1992).

Date:.....

Place:.....

Signature of Candidate:

Name of Candidate:

# योग्यता छात्रवृत्ति हेतु

परीशिष्ट "अ"  
परिशिष्ट "अ"

23

मध्य प्रदेश की योग्यता छात्रवृत्ति/विश्वबैंक परियोजना के अंतर्गत बी.ई./एम.एस.सी./एम.टेक / डिप्लोमाधारी/पोस्ट डिप्लोमा के लिये स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र का प्रपत्र 2014-2015.

एकीकृत छात्रवृत्ति नियम (पुनरीक्षित) की छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र सत्र 2014-2015.

1. योग्यता तथा साधन शिष्यवृत्ति (संस्था द्वारा)
2. योग्यता छात्रवृत्ति
3. विश्वबैंक परियोजना के अंतर्गत केवल छात्रों के लिये योग्यता छात्रवृत्ति (संचालनालय द्वारा)

1. पूरा नाम श्री/कु.....  
प्रवेशित कक्षा.....
2. (क) पिता का पूरा नाम .....  
(ख) यदि पिता जीवित न हो तो  
अभिभावक का पूरा नाम .....  
(ग) स्थायी निवास का पता .....
3. (घ) व्यवसाय .....  
छात्रा के माता/पिता की .....  
समस्त स्रोतों से कुल मासिक आय .....  
(मूल वेतन के आधार पर) .....  
यदि शासकीय /अर्द्धशासकीय .....  
कर्मचारी है तो उस कार्यालय .....  
का नाम एवं पता .....
4. जिस संस्था में अध्ययन किया .....  
हो उसके ब्यौरे .....

क्र.	संस्था का नाम	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	अभ्युक्ति

1/2/1

24

5. वर्ष में उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का नाम .....
1. विद्यालय जिसमें परीक्षा में बैठा .....
2. परीक्षा के कुल पूर्णांक .....
3. प्राप्तांक .....
4. परीक्षा में प्राप्त श्रेणी या डिवीजन (अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें) .....
5. प्राप्तांक एवं प्रतिशत .....
6. उस संस्था का नाम जिसमें शिक्षा वर्ष ..... के लिये प्रवेश लिया है।
7. आवेदन की प्रवेश की तिथि (सही) .....
8. क्या आवेदक छात्रावासी है ..... (यदि हां तो वार्डन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
9. क्या कोई अन्य छात्रवृत्ति मिल रही है .....
10. मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये पेशा चयन किया गया जो मैं संपूर्ण समय अध्ययन में लगाऊंगा और यह कि मैं किसी अन्य स्रोतों में कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करूंगा।

स्थान .....

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

**TO BE ENCLOSED WITH APPENDIX 'A'  
AGREEMENT**

This agreement is made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2014 between the government of Madhya Pradesh, Bhopal (here in after called the governor, with expression shall, where the context so admits, include this successor in office) of the one part and Shri \_\_\_\_\_ S/O \_\_\_\_\_ Shri \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ in the Tehsil of \_\_\_\_\_ District (here in after called the candidate which expression shall where the context so admits, include his heirs, executors administration, reprehensive and assigns) of the other part.

Where as the candidate has been selected by the Governor for training in \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ (herein after called the said institution) for a period of \_\_\_\_\_ years commencing from \_\_\_\_\_ And ending on \_\_\_\_\_. Therefore, this agreement witnesses and it is hereby agreed as follows:

1. The Governor agrees to pay to the candidate during the course of training at the said institution monthly scholarship of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only). The right to revise decision in regard to payment, of the amount of scholarship shall be final and binding on the candidate.
2. The candidate here by agrees that he shall delight completes the prescribed courses of training at the said institution and shall abide by the rules from the time being in force regulating the conduct of student at the said institution.
3. On completion of the course of training at the said institution and passing the final examination, the candidate shall if required by the governor within six months of the completion of the training serve the Government of Madhya Pradesh for a period of not less than five year in the Madhya Pradesh Government Service from the date of assuming charge of his duties shall rejoin his former post within a period of fifteen days and shall continue to serve the state Government in the post or in any other equivalent post offered to him by the Governor.
4. While in service in accordance with clause (3) above the candidate shall faithfully diligently and with skill ability perform his duties and observe the rules for the time being and/in force made by the Government of Madhya Pradesh for the conduct of their servants.
5. During the period for training at the said institution the candidate shall not seek, apply for or accept private job or service in either department of Government either Central or State without the previous sanction in writing of the Governor.

1/2/11



(c) I am receiving/not receiving any scholarship from -----

Place :

Date :

Signature of applicant

The application in the prescribed form duly filled in by the applicant should be forwarded by the Head of Institution, With the following certificates to the Director of Technical Education, Madhya Pradesh, Satpura Bhavan, 4th Floor, Bhopal, Pin-462004, so as to reach by -----.

- 1- Certificate that Shri/Smt/Ku \_\_\_\_\_ given in the application are correct S/O, W/O, D/O \_\_\_\_\_ first year B.E. come form as regular student on Direct/through PET \_\_\_\_\_ (date) during the year 2014-15 in \_\_\_\_\_ class and that he/she is still continuing his/her studies during the session. I have verified the entries made in this form and certify that they are correct.
- 2- On the basis of the character certificate submitted by the applicant with his/her application for admission to the institution, I also certify that he/she did not take part in any subservice activity including strike and his/her conduct in Good.

Signature of head of Institution  
with Seal

Place : \_\_\_\_\_ Name of College

Date : \_\_\_\_\_

- (a) List of enclosures to the application  
(Strike of which is not applicable)
  - I. Attested copies of mark sheet of all boards/University Examination passed by him on the date of application beginning from Twelfth/B.Sc. part I.
  - II. Any other document/certificate.
  - III. Agreement form.

Note :-

- I. Incomplete application or application on which is not in the prescribed form or received after prescribe date shall not be considered.
- II. Before forwarding this application to the Director of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal, the application should be checked so as to ensure that it is complete in all respects and that all the documents certificates required under the rules are submitted with the application.

- 6. If for any reason what-so-ever (including illness) The candidate fails to successfully complete the said training course or leaves the said institution before completing there course of this training without the previous permission in writing of the Governor is discharged or dismissed there of misconduct for a period of five years as aforesaid of resigns is dismissed from Government service during the said of five years or otherwise commits breach of any of the condition herein contained he shall pay to the Governor, the entire amount recovered by him on account of the scholarship during the period of training as the hereby binds himself, his executors, administrators representative and assigns.
- 7. Any sum falling due from the candidate under this agreement may be recovered from him as an arrear of land revenue.
- 8. The Governor shall bear stamp duty payable on this agreement inclusive of the surety bond.
- 9. In the event of any dispute arising between the parties he hereunto in respect of this agreement or any of the provision herein contained or anything arising there out, except in respect of matter on which the decision of the Governor is herein before declared to final and binding, the same shall be referred to the arbitration of the \_\_\_\_\_ and his decision shall be final and binding on the parties.

IN WITNESS where of the parties here to have sent their hand hereunto on the day and year written in each case.

WITNESS

- 1- \_\_\_\_\_ Diretor of Technical Education
- 2- \_\_\_\_\_ for and on behalf of the Governor
- 3- \_\_\_\_\_ of Madhya Pradesh

Dated: \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate

Dated: \_\_\_\_\_

~~WHERE AS the Governor has in order secure the due performance of the above, written agreement demanded security from the candidate.~~

//4//

28

NOW therefore, in consideration of the grant of scholarship to the candidate to join the course of training aforesaid the request of the candidate we (1) \_\_\_\_\_ S/O, Shri \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ In the \_\_\_\_\_ Tehsil of District \_\_\_\_\_ and (ii) \_\_\_\_\_ S/O \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ Tehsil or District \_\_\_\_\_ sureties on behalf of the candidate, due from him under the said Agreement we shall jointly and severally be liable to pay the same and we hereby bind our heirs, executor, administrators, representatives and assigns for such payment, we further agree that any such payable by as here under may be recovered as on arrear of land revenue.

SIGNED be This \_\_\_\_\_ Day of \_\_\_\_\_ 2002  
 \_\_\_\_\_ in the presence of:

WITNESS

- 1. \_\_\_\_\_ SURITY NO. (i) \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_

WITNESS

- 1- \_\_\_\_\_
- 2- \_\_\_\_\_

(Signature of surity) \_\_\_\_\_  
 Dated \_\_\_\_\_  
 SurityNo (ii) \_\_\_\_\_  
 Signature of surity \_\_\_\_\_

## विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

29

### Details of the Scheme

 Scheme Name: Vikramaditya Yojna (Department Directorate of Higher Education)

 Objectives/उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा गरीबों में भेदभाव को समाप्त करते हुए सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण की दिशा में सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग गठित कर आयोग की अनुशंसा पर विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करना है। योजना में निर्धन वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिन्होंने 12 वीं बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो अभिभावकों की वार्षिक आय 120000(उच्च शिक्षा हेतु) या 54000(स्नातक हेतु) हो

 पात्रता

Eligibility

 लाभ

Benefit

 प्रक्रिया

पात्र विद्यार्थी

 How to Apply/Get Benefit of the Scheme???

- Required Documents With Samagra ID,Current College Code,Branch Code,Your Photo.
- If not Registered on the Portal Register (/Public/Register.aspx)
- If Registered, Log in Here (/sLogin.aspx)
- Get Your Application Status (/sLogin.aspx)
- Reports (/sLogin.aspx)

 आदेश/निर्देश

Circulars

Orders

Events

Forms

News

30

Today (/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=1) This Week  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=7) This Month  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=30) View / Search All  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=0)

(3) (4)

### आवेदन पत्र

विक्रमादित्य योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

(केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

- 1- छात्र/छात्रा का नाम:-.....
- 2- छात्र/छात्रा के पिता/पति का नाम :.....
- 3- मूल निवास का स्थाई पता :.....
- 4- वर्तमान पता :.....
- 5- कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष:.....
- 6- कक्षा 12वीं में प्राप्तांक एवं प्रतिशत :.....  
(हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंक सूची की प्रमाणित जायाप्रति) संलग्न की जावे।
- 7- शा0 महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशा0 महाविद्यालय  
का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो :.....
- 8- संकाय का नाम एवं संकाय का विषय :.....
- 9- मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र.....
- 10- सक्षम अधिकारी/तटस्थीलदार द्वारा जारी आय  
प्रमाण पत्र जो 42,000/-रु० से कम का हो प्रमाण पत्र।
- 11- शिक्षण शुल्क की राशि अंकों में..... (शब्दों में).....

स्थान:-

दिनांक:-

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर एवं नाम

संस्था प्रमुख का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० .....

पिता/पति..... इस महावि०.....

में स्नातक..... प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है इन्होंने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आय प्रमाण पत्र के अनुसार इनके अभिभावक की वार्षिक आय 42,000/- रुपये से कम है तथा इनसे कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये ..... जमा करा लिया गया है/जमा कराया जावेगा।

कार्यलय प्रमुख संस्था के हस्ता० एवं सील

मध्य प्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
: : आदेश : :

उत्तरा संघ हति

प्राचार्य  
02/07/18

1438  
17/6/18

भोपाल दिनांक 02/07/18

जमाक एफ-14-2/2008/42-2 :: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में वर्तमान में सामान्य निधेन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विभागवार विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में पारंपरिक योजनाओं को अतिक्रमित करते हुए, मध्य प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की स्थान को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" सत्र 2018-19 से लागू करने के हेतु निम्नानुसार आदेश निर्गत किया जाता है:-

2. पात्रता की शर्त:-

✓ मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो।

3. योजना स्नातक/पोलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 इंजीनियरिंग क्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

- a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वार्षिक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1लाख 50 हजार तक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 मेडिकल की पढ़ाई:- जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/हेल्थ कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्य प्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे सरकारों जो राज्य के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना से सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित छात्रों को वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित वसतिगृह में कार्य करने का अवसर


- करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रुपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे।  
 प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि रुपये 25 लाख होगी।
- 3.3 **विधि की पढ़ाई:-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा राज्य के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.4 भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट रेजुएशन प्रोग्राम एवं इयुल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों, पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई(रलोवल स्कूल पार्क को सम्मिलित मानते हुये) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।
- स्पष्टीकरण:-** भारत सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय (कंडिका 3.1 एवं 3.2 में पात्र महाविद्यालयों को छोड़कर) योजना में शामिल नहीं होंगे।
- 3.6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.7 योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (नेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।
4. योजना की अन्य शर्तें:-
- 4.1 इस योजनातर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित सरथा के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूरा करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
- 4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाने में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के आहार तिक खाते में देय होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना में महायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा।

- 4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार न्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरान्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड से उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि का वापिस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे।
- 4.5 इस योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व में अध्ययनरत है, उन्हें वर्ष 2018-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति छूट की पात्रता होगी, जैसा 2018-19 में प्रवेशित (प्रथम वर्ष) के पात्र विद्यार्थियों को होगी।
5. योजना का क्रियान्वयन:-
- 5.1 योजना शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगी।
- 5.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- 5.3 तीनों विभागों को पूर्व से जारी विक्रमादित्य मि.शुल्क शिक्षा योजना इस योजना में समाविष्ट मानी जाकर योजना अंतर्गत पूर्व से सतत लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।
- 5.4 योजना में आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:-
- 5.4.1 विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट/प्रतिपूर्ति हेतु [www.scholarshipportal.mp.nic.in](http://www.scholarshipportal.mp.nic.in) पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी (User ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त करना होगा।
- 5.4.2 विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा।
- 5.4.3 विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर एवं माता/पिता का अभ्यगठित कामेकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाइन आवेदन में भरना होगा।
- 5.4.4 आवेदन करते समय विद्यार्थी को अहंकारी परीक्षा की अकसूची, प्रदेश परीक्षा की अकसूची (जैसे JEE Mains एवं NEET इत्यादि), शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि अपलोड करना होगा।
- 5.4.5 अगर ऑनलाइन आवेदन भरते समय विद्यार्थी ने पंजीयन संबंधी आवेदन त्रुटि पूर्ण भरा है तो उसे पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकता है परंतु यह सुविधा एक बार ही प्राप्त हो सकती है।
- 5.4.6 विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन, प्रिन्ट कर नया टमनावेजो के सहित पधारित संस्था में जमा करना होगा।

- 5.4.7 संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरान्त, सत्यापन स्लिप ई-पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- 5.4.8 मध्यप्रदेश में स्थापित शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों की स्वीकृति संबंधित स्वीकृतकर्ता शासकीय शैक्षणिक संस्थान करेगा।
- 5.4.9 मध्यप्रदेश से बाहर के शासकीय/अशासकीय संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों में स्वीकृति संबंधित संचालनालय यथा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जावेगा।
- 5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन एवं स्वीकृति उपरान्त संस्था देय शुल्क की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से की जायेगी।
- 5.6 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा एनआईसी पोर्टल एवं बैंक एकाउंट के माध्यम से किया जायेगा।
- 5.7 "मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पोर्टल को परिवर्तित योजना हेतु "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" की तर्ज पर विकसित किया जावेगा।
- 5.8 पोर्टल पर तीनों विभागों (तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा) को लॉगिन करने की सुविधा विकसित की जावेगी ताकि तीनों विभाग, उनसे संबंधित संस्थाओं के छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही सुगमता से कर सकें।
- 5.9 *Imp* कंडीको 5.7 एवं 5.8 की सुविधा पूर्ण रूप से विकसित होने तक तीनों विभाग वर्तमान में संचालित प्रक्रिया अनुसार भुगतान कर सकेंगे।
- 5.10 योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के पशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

## गाँव की बेटी योजना

31

### Details of the Scheme

 Scheme Name: Gaon ki Beti (Department Directorate of Higher Education)

 Objectives/उद्देश्य

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक गाँव से प्रति वर्ष 12 वीं कक्षा प्रथमश्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को हर वर्ष 500 रुपए प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

 पात्रता

बालिका ने 12वीं की परीक्षा में 60% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हों एवं छात्रा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हो (गाँव की बेटी प्रमाण पत्र हो)

 लाभ

छात्रा को 5000 तक की सहायता प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है

 प्रक्रिया

SC/ST/OBC/General की छात्रायें पोर्टल पर अपना पंजीयन करें, इसके पश्चात पोर्टल पर पंजीयन आई डी से लॉग इन करके योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं

 How to Apply/Get Benefit of the Scheme???

- Required Documents With Samagra ID, Current College Code, Branch Code, Your Photo.
- If not Registered on the Portal Register (/Public/Register.aspx)
- If Registered, Log in Here (/sLogin.aspx)
- Get Your Application Status (/sLogin.aspx)
- Reports (/sLogin.aspx)

 आदेश/निर्देश

[Circulars](#)

[Orders](#)

[Events](#)

[Forms](#)


[News](#)

32

Today (/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=1) This Week  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=7) This Month  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=30) View / Search All  
(/Portal/Public/AllCirculars.aspx?wo=0&pd=0)



## Pragati & Saksham Scholarship Scheme



Scholarship for Girls under PRAGATI Scheme and Scholarship for Differently Abled students under SAKSHAM Scheme Implemented by All India Council For Technical Education, New Delhi.

- ❑ **Last date for submission of application for the 2016-17 Batch of Pragati and Saksham Scheme has been extended from 10-01-2017 to 30-01-2017.**
- ❑ **Notification regarding PRAGATI & SAKSHAM scholarship for batch 2016-17(1st year)**
- ❑ **Instructions for Filling Online Application**
- ❑ **About the Scheme**
- ❑ **Frequently Asked Questions(FAQ)**
- ❑ **List of Required Documents**
  1. Scanned Copies of mark sheet of standard Xth / XIIth / Others as applicable and as filled up. (mandatory)
  2. Scanned Copy of annual family income certificate for the financial year 2015-16 in the prescribed format issued by Tehsildar or equivalent competent Authority. (Annexure I)
  3. Scanned Copy of admission letter to Diploma/Degree course. (mandatory)
  4. Scanned Copy of Tuition Fee Receipt, showing clearly and separately the amount of tuition fee paid. (mandatory)
  5. Scanned Copy of Bank Pass Book showing name of the student, Account number, IFSC code and Photograph pasted at appropriate place duly signed by Manager with rubber stamp of Bank affixed(mandatory)
  6. Scanned copy of Certificate issued by the Director/Principal/Head of the Institute (Annexure-II) (mandatory)
  7. Scanned Copy of certificate issued by Competent Authority to the Differently abled candidate (PH candidate) (mandatory for application under scholarship for differently abled candidate), if applicable.
  8. Scanned Copy of AADHAR card.
  9. Attested Scanned copy of SC/ST/OBC Certificate. (mandatory in case of candidates claiming benefit of reservation policy).
  10. Scanned copy of passport size photograph and signature.

**NOTE: PLEASE DO NOT SEND ANY HARD COPIES/SOFT COPIES OF YOUR DOCUMENTS/APPLICATIONS THROUGH E-MAIL/LETTER.**

[click here to Apply](#)

**Pragati:**  
**(Scholarship for Girl Students)**

To provide encouragement and support to Girl Child to pursue technical education "Pragati Scholarship" has been launched by the MHRD from the year 2014-15 and implemented by All India Council for Technical Education (AICTE).

Pragati is a scheme of AICTE aimed at providing assistance for Advancement of Girls participation in Technical Education. Education is one of the most important means of empowering women with the knowledge, skill and self-confidence necessary to participate fully in the development process. This is an attempt to give every young Women the opportunity to further her education and prepare for a successful future by "Empowering Women Through Technical Education".

**Salient Features of the Scheme:**

- **Number of scholarships per annum: 4000**
- **'One Girl'** per family and it can be extended for **Two Girl Child** per family where the **family income is less than Rs. 8 Lakh /annum** (In case of married girl child, the income of parents/ in laws whichever is higher is to be considered).
- The candidates will be selected on Merit at the qualifying examination to pursue technical education from amongst such candidates.
- The candidates should have been admitted to 1st year of the Degree or Diploma programme in any of the AICTE approved institute during the academic year 2015-16 through centralized admission process of the State/ Centre Government.
- Amount of scholarship: Tuition Fee of Rs. 30000/- or at actual, whichever is less and Rs. 2000/- per month for 10 months as incidentals each year.
- In case of candidates availing Tuition fee waiver/reimbursement, and amount of Rs. 30000/- may be reimbursed to the candidates selected for this scheme by the way of reimbursement for
  - a) Purchase of books,
  - b) Purchase of equipments, software
  - c) Purchase of Laptops.
  - d) Purchase of Desktops
  - e) Purchase of Vehicle
  - f) Fees paid towards competitive examination application forms/exam fees for all examinations related to higher education / employment.
- Reservation-15% for SC, 7.5% ST and 27% for OBC candidate/applicant.
- Out of the total number of scholarship in each scheme, 50% scholarships are available at each Degree /Diploma level and also transferable in the event of non availability of eligible applicant in any of the of Degree/ Diploma level Programme.

S. No.	Name of Document
1	Copies of mark sheet of standard Xth / XIth / Others as applicable and as filled up.

	(mandatory)
2	Copy of annual family income certificate for the financial year 2014-15 in the prescribed format issued by Tahsildar or higher officer. (mandatory)
3	Copy of admission letter to Diploma/Degree course. (mandatory)
4	Copy of Tuition Fee Receipt, showing clearly and separately the amount of tuition fee paid. (mandatory)
5	Copy of Bank Pass Book showing name of the student, Account number, IFSC code and Photograph pasted at appropriate place duly signed by Manager with rubber stamp of Bank affixed(mandatory)
6	Certificate issued by the Director/Principal/Head of the institute (Annexure-I) (mandatory)
7	Copy of AADHAR card (if available)
8.	Attested Copy of SC/ST/OBC Certificate. (mandatory in case of candidates claiming benefit of reservation policy)

**Saksham:**  
(Scholarship to Differently Aabled Students)

*The Ministry of HRD is implementing Saksham Scholarship Scheme through All India Council for Technical Education (AICTE) to provide encouragement and support to differently abled students to persue technical education in a year.*

*Saksham is a scheme of AICTE aimed at providing encouragement and support to specially abeled children to persue Technical Education. This an attempt to give every young student who is otherwise specially abeled, the opportunity to study further and prepare for a successful future.*

**Salient Features of the Scheme:**

- **Number of scholarships per annum: 1000**
- For **Specially Aabled students whose family income is less than Rs. 8 lakhs per annum**
- The candidates should have been admitted to 1<sup>st</sup> year of the Degree or Diploma programme in any of the AICTE approved institute during the academic year 2015-16 through centralized admission process of the State/ Centre Government
- The candidates will be select on merit at the qualifying examination to pursue technical education from amongst such candidates.
- Amount of scholarship: Tuition Fee of Rs. 30000/- or at actual, whichever is less and Rs. 2000/- per month for 10 months as incidentals each year.
- In case of candidates availing Tuition fee waiver/reimbursement, and amount of Rs. 30000/- may be reimbursed to the candidates selected for this scheme by the way of reimbursement for
  - a) Purchase of books,
  - b) Purchase of equipments, software
  - c) Purchase of Laptops.
  - d) Purchase of Desktops
  - e) Purchase of customized vehicle.
  - f) Fees paid towards competitive examination application forms/exam fees for all examinations related to higher education / employment.
  - g) Purchase of specific equipments/software for visually impaired/speech and hearing disabled.
- Reservation-15% for SC, 7.5% ST and 27% for OBC candidate/applicant.
- Out of the total number of scholarship in each scheme, 50% scholarships are available at each degree /diploma level and also transferable in the event of non availability of eligible applicant in any of the of degree/ diploma level programme.

S.No.	Name of Document
1	Copies of mark sheet of standard Xth / XIIth / Others as applicable and as filled up.

	(mandatory)
2	Copy of annual family income certificate for the financial year 2014-15 in the prescribed format issued by Tahsildar or higher officer. (mandatory)
3	Copy of admission letter to Diploma/Degree course. (mandatory)
4	Copy of Tuition Fee Receipt, showing clearly and separately the amount of tuition fee paid. (mandatory)
5	Copy of Bank Pass Book showing name of the student, Account number, IFSC code and Photograph pasted at appropriate place duly signed by Manager with rubber stamp of Bank affixed (mandatory)
6	Certificate issued by the Director/Principal/Head of the institute (Annexure-1) (mandatory)
7	Copy of certificate issued by Competent Authority to the Differently abled candidate (PH candidate) (mandatory for application under scholarship for differently abled candidate)
8	Copy of AADHAR card (if available)
9.	Attested Copy of SC/ST/OBC Certificate. (mandatory in case of candidates claiming benefit of reservation policy)

### Eligibility for PRAGATI & SAKSHAM Scholarship

Eligibility for PRAGATI	Eligibility for SAKSHAM
1. May be <b>two Girls per family</b> . 2. <b>Family income should be less than Rs. 8 Lakhs</b> per Annum. 3. Students Admitted for Diploma/ Undergraduate Degree Level Programmes/ Courses in AICTE Approved Institutions. 4. Only for the students admitted in <b>first year</b> of their Degree//Diploma	1. Only for Differently Abled Students having <b>.more than 40% disability</b> . 2. <b>Family income should be less than Rs. 8 Lakhs</b> per Annum. 3. Students Admitted for Diploma/ Undergraduate Degree Level Programmes/ Courses in AICTE Approved Institutions. 4. Only for the students admitted in <b>first year</b> of their Degree//Diploma for the academic year 2016-17.

t

### Details of Scholarships

PRAGATI Scholarship Scheme (Only for Girl Students)	SAKSHAM Scholarship Scheme (Only for Differently Abled Students)
1. Number of Scholarships available/annum: 4000 (50% for Diploma & 50% for Degree level Students). 2. Amount of Scholarship/annum /student: Rs. 30,000/- (or) the actual tuition fees paid, whichever is less;  (Note: Contingency allowance: Rs. 2,000/- per month for ten months (Only for those staying in Hostels)  15%, 7.5% & 27% of Scholarships will be reserved for SC, ST & OBC Students respectively	1. Number of Scholarships available/annum: 1000 (50% for Diploma & 50% for Degree level Students). 2. Amount of Scholarship/annum/ student: Rs. 30,000/- (or) the actual tuition fees paid, whichever is less;  (Note: Contingency allowance: Rs. 2,000/- per month for ten months (Only for those staying in Hostels)  15%, 7.5% & 27% of Scholarships will be reserved for SC, ST & OBC Students respectively

## मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

(A)

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय

:: संशोधित एकजाई आदेश ::

भोपाल दिनांक 05-06-2018

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1): : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश 12 जून 2017, संशोधित आदेश दिनांक 31.7.2017, 24.8.2017, 30.8.2017, 5.9.2017 एवं 18.5.2018 को संशोधित स्वरूप में एकीकृत करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है:-

### 2. पात्रता की शर्तें:-

- 2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो. तथा
- 2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो. परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं. को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा.
- 2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित बारहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कडिका 3.1 से कडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं. भी इस योजना में पात्र होंगे।

### 3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

- 3.1 इंजीनियरिंगक्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रैंक प्राप्त किया है. अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-
  - a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

- b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।  
स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।
- 3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रुपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रुपये 25 लाख होगी।
- 3.3 **विधि की पढ़ाई :-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.4 भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- 3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. **योजना की अन्य शर्तें -**

- 4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
- 4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
- 4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे।

5. **योजना का क्रियान्वयन -**


- 5.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू की गई है। संशोधित स्वरूप शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगा।
- 5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनांतर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा। इस हेतु योजना पर हुए व्यय का 03 प्रतिशत किन्तु प्रथम वर्ष के लिए रुपये 15 करोड़ निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होगा।



इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5. संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।
- 5.6. ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।
6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

## शिकायत निवारण समिति

---

संस्था मे विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए "शिकायत निवारण समिति" का गठन किया गया है।

विद्यार्थियो को यदि संस्था की किसी भी व्यवस्था, प्रक्रिया एवं गतिविधि को लेकर कोई शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत, "शिकायत निवारण समिति" के अध्यक्ष को कर सकती है। इस हेतु संस्था भवन में शिकायत पेटी भी लगाई हुई है। यदि विद्यार्थी चाहे तो अपनी शिकायत इस पेटी में भी डाल सकता है।

वर्ष 2018-19 के गठित "शिकायत निवारण समिति" का संस्था द्वारा जारी आदेश पत्र संलग्न है-



# शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय

शिवाजी नगर, भोपाल - 462016 (म.प्र.)

फोन न - 0755-2576839, फैक्स - 2576840

ईमेल - info@gwpbpl.org वेब साइट - www.gwpbpl.org

क्रमांक / शामपोमभो / स्था / 2018 /

भोपाल, दिनांक

आदेश

संचालनालय तकनीकी शिक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक/यो/5/सी/2018/446 दिनांक 5/3/18 को जारी पत्र में संदर्भित AICTE के पत्र क्रमांक F-101/dpg/aicte/regulation/2017dt. 20-2-2018 में दिये गये निर्देश अनुसार संस्था के वेबपोर्टल पर 'शिकायत निवारण तंत्र' का निर्माण किया जाना है जिसमें छात्राओं/फेकेल्टी/स्टेक होल्डर की समस्याओं का निवारण निर्धारित समयावधि में करके हर माह के अंत में प्राप्त शिकायतें एवं निवारण संबंधी आंकड़े उच्च कार्यालय में भिजवाने की कार्यवाही की जायेगी।

जिसके संदर्भ में संस्था में शिकायत निवारण समिति (grievances committee) का गठन किया जाता है जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	नाम	पदनाम	प्रभार	मेबाइल नंबर
1.	श्री सुधीर दुबे	विभागाध्यक्ष ई.टी.एंड टेली.	अध्यक्ष	9826460982
2.	श्रीमती पूजा मंघनानी	विभागाध्यक्ष सी.एस और प्रभारी अधिकारी महिला उत्पीडन	सदस्य	8319671771
3.	डॉ राजेंद्र भूतड़ा	वरिष्ठ व्याख्याता एम.ओ.एम	सदस्य	9893006890
4.	डॉ आराधना हंस	प्रभारी विभागाध्यक्ष ए.आई.डी.	सदस्य	8770730683
5.	श्रीमती अंजू चौरसिया	प्रभारी विभागाध्यक्ष एफ.टी.	सदस्य	9425862301
6.	श्रीमती सुषमा गोखले	प्रभारी अधिकारी शैक्षणिक	सदस्य	9826649225
7.	श्रीमती आरती लाड	प्रभारी अधिकारी जनभागीदारी	सदस्य	9826523856
8.	डॉ प्रतीक मानके	प्रभारी अधिकारी भंडार	सदस्य	9993635320
9.	श्री विजय कलाकार	प्रभारी अधिकारी परीक्षा	सदस्य	7828446282
10.	श्रीमती संगीता सोनी	प्रभारी अधिकारी रैगिंग	सदस्य	9406541005
11.	डॉ. चारुनित्रा पाटिल	प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति	सदस्य	9752333909
11.	डॉ. याचना भावसार	प्रभारी अधिकारी एन.एस.एस एवं ड्राइंग स्टेशनरी	सदस्य	9827811904
12.	डॉ. विनोद गुप्ता	प्रभारी अधिकारी टी.पी.ओ.	सदस्य	8602195653
13.	श्री राजेश सिसोदिया	प्रभारी अधिकारी छात्रावास एवं काउंसिलिंग	सदस्य	8349861441
14.	श्रीमती अंजना खरे	प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय	सदस्य	9893984765
15.	श्री अविनाश डॉसन	खेल प्रभारी	सदस्य	9407554462
16.	श्रीमती रजनी पाठक	कार्यालय प्रभारी	सदस्य	9826031278
17.	श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता	सहायक कार्यालय प्रभारी	सदस्य	9926018349

प्राचार्य,  
शास.महिला पॉली.महाविद्यालय,  
भोपाल

## एन्टी रेगिंग कमेटी

---

संस्था मे रेगिंग को एक गम्भीर अपराध माना जाता है। विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है। कि रेगिंग जैसी गतिविधियों से दूर रहे। संस्था में रेगिंग की रोकथाम के लिए एन्टी रेगिंग कमेटी कार्यरत है। यदि विद्यार्थी को रेगिंग को लेकर कोई शिकायत हो तो विभागाध्यक्ष, व्याख्याता अथवा प्राचार्य महोदय को तत्काल सम्पर्क कर अपनी समस्या बताये।

एन्टी रेगिंग कमेटी सदस्यों के नाम :-

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. डॉ० आराधना हंस      | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० नीलू वर्मा      | सदस्य   |
| 3. श्रीमती कीर्ति गर्ग | सदस्य   |
| 4. श्री विजय कलाकार    | सदस्य   |
| 5. डॉ० याचना भावसार    | सदस्य   |
| 6. श्री नितिन सोनकुसरे | सदस्य   |
| 7. श्रीमती कविता वमा   | सदस्य   |

(A.I.C.T.E.Guideline) ए.आई.सी.टी.ई. की गाईडलाईन के अनुसार संस्था में मेंटरिंग सिस्टम बनाने के लिए मेंटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य नवीन प्रवेशित छात्राओं को प्रवेश से लेकर परीक्षा तक काम आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ व उनसे सम्बन्धित सेक्शन व उस कार्य के प्रभारियों के बारे में अवगत कराना है। इसके लिए नवीन प्रवेशित छात्राओं के लिए ओरियन्टेशन प्रोग्राम (Orientation Programm) का आयोजन भी किया जाता है, साथ ही छात्राओं की मेंटरिंग के लिए 6 से 8 छात्राओं का समूह बनाकर प्रत्येक समूह के लिए एक सीनियर छात्रा को मेंटर बनाया जाता है। प्रत्येक कक्षा के लिए भी एक शिक्षक मेंटर की नियुक्ति की जाती है। छात्राएँ किसी भी स्तर पर आने वाली समस्या के लिए मेंटर से मदद ले सकती हैं।

## पुर्नमूल्यांकन

---

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिणाम से यदि विद्यार्थी सन्तुष्ट नहीं है तो थ्योरी परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र प्रारूप संलग्न है।



**RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL**  
A/4, OFFICE COMPLEX, GAUTAM NAGAR, BHOPAL - 462 023

**APPLICATION FORM FOR  
REVALUATION & RETOTALLING**

FORM E04  
No.

**INSTRUCTIONS:** 1. The candidate should fill this form in his/her own handwriting, using CAPITAL letters only.  
2. Fee once paid is neither refundable nor transferable.  
3. If application is incomplete or not made on prescribed form, it will be rejected.  
4. More than ONE application forms will be rejected.

1. Examination Centre: - \_\_\_\_\_ Code

2. Examination Month  Year  3. Programme/Branch  4. Prog. Code  5. Scheme

6. Roll No. (In figure & words)  
Numerals   
Words

8. Name of Examinee (In English, as per marksheet of qualifying exam., using CAPITAL letters only):

9. Address for communication of revaluation/ retotaling result:  
  
City  District   
Pin code:  Phone No. with STD code:

10. Subjects for Revaluation/ Retotaling:  
**Note:** 1. A candidate can apply for maximum 2 subjects in revaluation & maximum 2 subjects in retotaling from the subjects of all years/semesters/terms in which he/she has appeared during the examination.  
2. Use SINGLE APPLICATION FORM for all the subjects of various semesters/years in which appeared. Multiple application forms will be rejected.  
3. All codes shall be strictly as per the Examination Timetable.  
4. If any discrepancy is found in Subject Code, Name of Subject and Paper code, then Paper code will be treated as correct.

S.No.	Year/ Semester/ Term	Exam. Code	Subject/ Course Code	Name of Subject (Course)	Paper Code	Marks Obtained
<b>Subjects for Revaluation:</b>						
1						
2						
<b>Subjects for Retotaling:</b>						
1						
2						

1. Details of Bank draft enclosed towards Fees for Revaluation and/or Retotaling:  
(Draft should be in favour of "Secretary, Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal" payable at Bhopal.)

Draft No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Amount in Rs. \_\_\_\_\_

Bank \_\_\_\_\_ Branch \_\_\_\_\_

Place:

Date:

(Signature of Candidate)

## परिचय-पत्र

संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय-पत्र दिया जाता है। इस परिचय-पत्र में विद्यार्थियों की पासपोर्ट साईज का छाया चित्र एवं अध्ययनरत विभाग एवं सत्र की जानकारी अंकित होती है।

विद्यार्थियों को परिचय पत्र संस्था में सदैव अपने साथ लेकर प्रवेश होना चाहिये।

परिचय-पत्र का प्रारूप नियमानुसार है:-

फोटो	<b>शास. महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल</b>			
	<b>परिचय-पत्र</b>			
	छात्रा का नाम :-.....			
	ब्रान्च :- .....			
	वैधता :-.....			
	<u>वर्ष से</u>	<u>वर्ष तक</u>	<u>विभागाध्यक्ष</u>	<u>प्राचार्य</u>
	पिता का नाम :-.....			
	रक्त समूह :-.....			
	पता :-.....			
	मो. नं.:-.....			

संस्था में छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा है। संस्था के छात्रावास में 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है।

- मेस सुविधा उपलब्ध है जिसमें छात्राओं को न्यूनतम दर पर भोजन नाश्ता इत्यादि दिया जाता है।
- मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के लिए 49" एल.ई.डी. टी.वी तथा थिएटर की सुविधा है जिससे छात्राएँ योगा, नृत्य, गायन, आदि का अभ्यास कर सकती हैं।
- छात्रावास में खेलकूद के लिए इंडोर एवं आउटडोर गेम जैसे केरम, चेस, बेडमिंटन, टेबिल टेनिस इत्यादि उपलब्ध हैं।
- दिन प्रतिदिन के समाचार, अन्य खबरों एवं रोजगार संबंधी जानकारी के लिए विभिन्न समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।
- संस्था प्रांगण में ही 50-50 की क्षमता वाले दो छात्रावास हैं जो कि संस्था से मात्र 100 फीट की दूरी पर प्रांगण में ही स्थित हैं।
- छात्रावास में पढ़ाई के लिए छात्राओं को कम्प्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ एवं फ्री वाई-फाई भी उपलब्ध है।
- अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम उपकरण जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, डम्बलस इत्यादी भी उपलब्ध हैं।
- स्वच्छ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर आर ओ स्टाल है जो दोनों छात्रावासों के लिए पर्याप्त पीने का पानी स्वच्छ करता है।
- सर्दी के दिनों के लिए सोलर वाटर हीटर उपलब्ध है। जो गर्म पानी की पूर्ति करता है।
- अपातकालीन स्थिति के लिए सोलर लाइट भी प्रकाश के लिए उपलब्ध है।

छात्रावास संबंधी विभिन्न प्रपत्र संलग्न हैं।

क्र. विवरण	पृष्ठ संख्या
1. शुल्क विवरण	104
2. छात्रावास प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र	105
3. अभिभावकों के लिए सूचना एवं जानकारी	106
4. अभिभावकों का घोषणा पत्र	107

**Hostel Fee Structure***Government women's Polytechnic College Shivaji Nagar Bhopal*

		<b>First Year</b>		
<b>S.no.</b>	<b>Head</b>	<b>Full Fee</b>	<b>First Instt.</b>	<b>Sec.Instt</b>
01	<i>Hostel fee</i>	2000.00	1000.00	1000.00
02	<i>Hostel Admission fee</i>	100.00	100.00	00.00
03.	<i>Water Charges</i>	450.00	250.00	200.00
04.	<i>Electricity Charges</i>	2850.00	1450.00	1400.00
05.	<i>Medical Charges</i>	1400.00	1400.00	00.00
06	<i>Mess Charges</i>	100.00	100.00	00.00
07.	<i>Hostel Cation Money</i>	100.00	100.00	00.00
<b>Total Rs.</b>		<b>7000.00</b>	<b>4400.00</b>	<b>2600.00</b>

**Hostel Fee Structure***Government women's Polytechnic College Shivaji Nagar Bhopal*

		<b>Second, Third Year</b>		
<b>S.no.</b>	<b>Head</b>	<b>Full Fee</b>	<b>First Instt.</b>	<b>Sec.Instt</b>
01	<i>Hostel fee</i>	2000.00	1000.00	1000.00
02	<i>Hostel Admission fee</i>	100.00	100.00	00.00
03.	<i>Water Charges</i>	450.00	250.00	200.00
04.	<i>Electricity Charges</i>	2850.00	1450.00	1400.00
05.	<i>Medical Charges</i>	00.00	00.00	00.00
06	<i>Mess Charges</i>	00.00	00.00	00.00
07.	<i>Hostel Cation Money</i>	00.00	00.00	00.00
<b>Total Rs.</b>		<b>5400.00</b>	<b>2800.00</b>	<b>2600.00</b>

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय



भोपाल



छात्रावास प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र

छात्रा का नाम : .....  
पिता का नाम : .....  
माता का नाम : .....  
पत्र व्यवहार का पता : .....

दूरभाष नं. : ..... मोबाईल नं. : .....  
स्थानीय अभिभावक का पता : .....

छात्रा से स्थानीय अभिभावक का संबंध : .....  
दूरभाष नं. : ..... मोबाईल नं. : .....  
में ..... पिता/पालक .....

शाखा ..... सेमेस्टर ..... ने संस्था में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया है। मेरे दसवीं/बारहवीं में ..... प्रतिशत अंक है। भोपाल में मेरे निवास की कोई व्यवस्था नहीं है इस कारण मैं छात्रावास में प्रवेश चाहती हूँ। मैं छात्रावास के समस्त नियमों का पालन करूँगी एवं छात्रावास का अनुशासन बनाए रखूँगी साथ ही आपके निर्देशानुसार जब भी संस्था को आवश्यकता होगी छात्रावास रिक्त कर दूँगी। आपके द्वारा निर्धारित छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क की मुझे पूर्ण जानकारी है।

प्रतिहस्ताक्षर पिता/पालक

हस्ताक्षर छात्रा

नाम .....

नाम .....

पिता  
का  
फोटो

माता  
का  
फोटो

भाई/बहन/  
स्थानीय  
अभिभावक  
का फोटो

भाई/बहन/  
स्थानीय  
अभिभावक  
का फोटो

छात्रा कु. .... के छात्रावास में रहने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर छात्रावास प्रभारी

प्राचार्य  
शा.म.पॉ. महा., भोपाल

कार्यालय प्राचार्य  
शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय



भोपाल



अभिभावकों के लिए सूचना एवं जानकारी

छात्रावास की गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन एवं छात्राओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराया जाता है। इनका पालन न करने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

1. समस्त छात्राओं को शाम की छात्रावास में होने वाली उपस्थिति में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करना अत्यन्त आवश्यक है।
2. छात्राएं बिना छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास प्रतिनिधि/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की लिखित अनुमति के संस्था परिसर से बाहर नहीं जावेंगी।
3. अभिभावकों का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित कर जमा करना होगा।
4. छात्रावास में छात्राओं से मिलने उनके पालक एवं पालकों द्वारा अधिकृत स्थानीय अभिभावक ही आएंगे इनके अलावा किसी को भी छात्राओं से मिलने नहीं दिया जावेगा इसको सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अभिभावकों का पहचान पत्र बनाया गया है जिसे पालकों द्वारा भरा जावेगा और स्थानीय अभिभावक का फोटो लगाकर, हस्ताक्षर कर तैयार किया जावेगा। इस पहचान पत्र के साथ आने वाले स्थानीय अभिभावक को ही छात्रा से मिलने की अनुमति दी जावेगी।
5. छात्रा से मिलने का समय रविवार के दिनों में दोपहर 12:00 से शाम 6:00 बजे तक का निर्धारित है। इसके अलावा किसी विशेष परिस्थिति में छात्रावास अधीक्षक की अनुमति आवश्यक होगी। सभी मिलने आने वालों को छात्रावास स्थिति रजिस्टर में एन्ट्री करना अनिवार्य होगा।
6. पालकों द्वारा अधिकृत स्थानीय अभिभावक के घर पर छात्रा को विशेष परिस्थिति में या बीमार होने पर रूकने की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगी एवं उसमें अभिभावक की स्वीकृति मानी जावेगी।
7. स्थानीय अभिभावक के न होने पर छात्रा को कहीं भी बाहर रूकने नहीं दिया जावेगा बिना लिखित अनुमति के बाहर रहने पर छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा।
8. शासन एवं संस्था द्वारा घोषित अवकाश के अतिरिक्त (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) कोई भी छात्रा घर नहीं जावेगी। छात्राओं की कक्षाओं में पूर्ण से वंचित किया जावेगा जिसके लिए छात्रा स्वयं जवाबदार होगी।
9. पालक अपनी पुत्री को दिए गए मोबाइल, सिम नम्बर इत्यादि की जानकारी रखेंगे। इस संबंध में किसी भी गतिविधि के लिए वे स्वयं जवाबदार रहेंगे।
10. आगामी सत्र द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में छात्रावास प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर दिया जावेगा। वर्तमान सत्र में

सात विषयों से अधिक में फेल होने पर/ईयर बैक होने पर या एक्स स्टूडेन्ट होने पर छात्रावास प्रवेश निरस्त किया जावेगा।

11. छात्राओं को छात्रावास मेस के सभी नियमों का पालन करना होगा यदि छात्राएं बाहर से नाश्ता लाती हैं तथा कोई अप्रिय घटना होती है तो संस्था प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. प्रथम सत्र के प्रथम माह में मेस हेतु एडवांस रू. .... जमा करने होंगे उसके पश्चात् प्रत्येक माह का निर्धारित मेस शुल्क नियत तिथि में जमा करने होंगे उसके पश्चात् प्रत्येक माह की 5 तारीख को मेस शुल्क जमा करना अनिवार्य है। मेस शुल्क में विलम्ब होने पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा। कोर्स पूरा होने के उपरान्त मेस शुल्क बकाया न रहने पर ही मेस एडवान्स वापस किया जावेगा।
13. छात्रा के बीमार होने पर या किसी आकस्मिक परिस्थिति में छात्रा की मां या बहन को ही एक दिन के लिए छात्रा के साथ छात्रावास में रूकने की अनुमति होगी।
14. छात्राएं परिसर में रहते हुए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगी जिससे संस्था की गरिमा भंग हो साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिससे छात्रावास के वातावरण, सहपाठी छात्राओं और संस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े।

छात्रावास अधीक्षक

प्राचार्य

शाकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,  
भोपाल

### अभिभावक की स्वीकृति

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को मैंने ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं संस्था प्रबंधक के सभी निर्णयों से मैं सहमत हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मेरी पुत्री/पाल्य द्वारा संस्था के सभी नियमों का पालन किया जावेगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त नियमों का पालन ना करने की स्थिति में उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

छात्रा का नाम : .....

अभिभावक के हस्ताक्षर

ब्रांच : .....

अभिभावक का नाम : .....

## संस्था छोड़ने/स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र

---

विद्यार्थी द्वारा संस्था छोड़ने पर स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी किया है।

विद्यार्थी निम्नलिखित परिस्थितियों में संस्था छोड़ता है।

1. पाठ्यक्रम का पढ़ाई पूर्ण करने के उपरान्त।
2. पढ़ाई पूर्ण करने से पहले जैसे-शहर छोड़ रहा है, पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं एवं अन्य।
- छात्रा को संस्था की टी.सी. जारी करने के पूर्व संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागवार प्रस्तुत करना होता है।
- छात्रा को संस्था से प्राप्त समस्त अंक सुचियों एवं उसके द्वारा जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीदों की छाया प्रति भी प्रस्तुत करना होता है।
- टी.सी. हेतु शुल्क रुपये 50/- जमा करना होता है।
- इसके पश्चात् संस्था के द्वारा टी. सी जारी की जाती है।
- साथ ही छात्रा को यदि पूर्व संस्था की टी.सी. जारी की जा चुकी है एवं वह संस्था की डुप्लीकेट टी.सी. की माँग करती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित थाने (पुलिस) की एफ.आई.आर. /आवेदन-पत्र जिसमें संबंधित थाने की मुद्रा हो। के साथ टी.सी. शुल्क रुपये 500/- प्राप्त कर टी.सी. जारी की जाती है।

संस्था छोड़ने/स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संबंधी विभिन्न प्रपत्र संलग्न हैं।

क्रं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन	109
2.	No Dues Certificate	110
3.	डुप्लीकेट टी.सी. हेतु शपथ पत्र	111
4.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र	112
5.	चरित्र प्रमाण-पत्र	113

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदाय करने बावत्।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि, मैंने आपके महाविद्यालय के .....  
संकाय से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा माह ..... वर्ष ..... में उत्तीर्ण कर  
ली है। मेरा रोल नम्बर ..... नामांकन क्रमांक ..... है।

कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मेरे  
द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल सत्यापित फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है।

1. डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त अंक सूचियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र हेतु नोड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. किसी भी प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने हेतु अपना पहचान पत्र आवश्यक रूप से लावें।

भवदीय

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पिता का नाम : .....

माता का नाम : .....

पूरा पता : .....

दूरभाष क्रमांक : .....

दिनांक : .....

कार्यालयीन उपयोग हेतु

छात्रा कु./श्रीमति ..... द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन  
कार्यालयीन रिकार्ड से कर लिया गया है। अतः उसे स्थानांतरण / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किया  
जा सकता है।

प्र. शोक्षणिक /

विद्यार्थी सहायक

प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करना चाहें

प्राचार्य /

Principal Govt. Women Polytechnic College, Bhopal

"NO DUES CERTIFICATE"

Name of Deptt. .... Year/sem .....

Name of Student ..... Roll No. ....

S.No.	Name of Deptt.	Dues any STO of Head I/C (HOD)
1.	Head of Deptt. (Related Student)	
2.	Library	
3.	N.S.S./N.C.C.	
4.	Hostel	
5.	Games	
6.	Student of SC/ST Stationery	
7.	I/C Post Metric Scholarship	
8.	Account Section	

अंतिम वर्ष की अंकसूची तथा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) के लिए नोड्युज प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः छात्राओं को अपनी सुविधा के लिये शैक्षणिक सत्र समाप्त करने के उपरान्त तुरन्त नोड्युज करा लेना चाहिए।

छात्रा के हस्ताक्षर

दस्तावेज  
TC

11



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

66AA 399808

॥ शपथ पत्र ॥

मैं, नेहा मालवीय आत्मजा श्री शंकर मालवीय, वयस्क, निवासी-112, नियर सतपुड़ा मवन, भीम नगर, भोपाल (M0प्र0) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि :-

1. यह कि मेने वर्ष 2011 में डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड डिजाइन पाठ्यक्रम में केन्द्र/संस्था शासकीय महिला पालिटेक्नीक, भोपाल में प्रवेश लिया था तथा पाठ्यक्रम जनवरी 2015 में पूर्ण कर लिया है।
2. यह कि मेरी स्कूल टी.सी. दुर्भाग्यवश कहीं गुम हो गई है जिसका मेने कोई दुरुपयोग आदि नहीं किया है।
3. यह कि उक्त पाठ्यक्रम के दौरान मेरे द्वारा उक्त टी.सी. के आधार पर किसी अन्य संस्था में प्रवेश नहीं लिया है और न ही किसी प्रकार की छात्रवृत्ति आदि प्राप्त की है।
4. यह कि मुझे वर्तमान में कालेज स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate) की आगे की पढ़ाई के लिये तत्काल आवश्यकता है।

4. यह कि यह शपथ पत्र उक्त स्थानांतरण पत्र (Transfer Certificate) को प्राप्त करने हेतु शासकीय महिला पालिटेक्नीक, भोपाल में प्रस्तुत कर रही हूँ।



  
शपथग्रहिता

सत्यापन


मैं, उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र के चरण क्र0 1 से 4 तक में मेरे द्वारा

NOTIFIED BY ME AND I HAVE AFFIRMED BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

10. 25/07/2016

H.M.O.  
Bhopal

25/07/2016  
N.P. E.V. SHADRA  
NOTARY ADVOCATE  
SHAHJANABAD, BHOPAL (M.P.)

  
शपथग्रहिता

महाविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा (सोनीपत)  
 महाविद्यालय छोड़ने का अनुरोध प्रमाण-पत्र  
 (विश्वविद्यालय विनियमों के अध्याय 8 के विनियम के अधीन)  
 दिनांक .....

घोषित किया जाता है कि कु./श्रीमती ..... विश्वविद्यालय  
 क्रमांक ..... पिता/पति का नाम श्री ..... माता श्रीमती.....  
 इस संस्था में दिनांक ..... से ..... तक वर्ष  
 ..... विभाग की छात्रा थी।  
 कारण राजीव गांधी प्रौद्योगिक वि.वि. म.प्र. की ..... वर्ष  
 की सन् ..... पत्रोपाधि पाठ्यक्रम परीक्षा में ..... श्रेणी में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण  
 हो रही हैं।  
 इस अवधि में छात्रा का आचरण ..... था। उसने दिनांक ..... तक  
 के द्वारा महाविद्यालय को देय समस्त शुल्कों का भुगतान कर दिया है।  
 छात्रा उक्त वि.वि. की ..... वर्ष ..... विभाग की माह ..... की परीक्षा  
 सम्मिलित हुई है तथा परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है।

दिनांक .....

प्राचार्य  
 शासकीय महिला पॉलीटेकनिक  
 महाविद्यालय, सोनीपत

शारङ्गीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय शिवाजी नगर, भोपाल

100 WOMEN'S PROTECTION

**प्रमाण पत्र**

क्रमांक/शिव/386

भोपाल, दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्रीमती .....  
 आसना/पत्नी श्री ..... इस महाविद्यालय  
 पेशेवरिक से ..... तक इस महाविद्यालय  
 के ..... विभाग की नियमित छात्रा रही हैं।

महाविद्यालय की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार छात्रा का आचरण एवम्  
 व्यवहार उचित है।

**प्राचार्य**

शारङ्गीय महिला पौली. महाविद्यालय  
 भोपाल

## डिप्लोमा प्रमाण-पत्र

---

समस्त सेमेस्टर की समस्त विषय की परीक्षा राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार उत्तीर्ण करने पर राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

1. राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, म०प्र० द्वारा उत्तीर्ण छात्राओं के डिप्लोमा संस्था में भेजे जाते हैं। जिन्हें डिप्लोमा पंजी में प्रविष्ट कर छात्राओं को वितरित किये जाते हैं।
2. छात्रा द्वारा समस्त सेमेस्टर्स की उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति एवं छात्रा का फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त छात्रा को संस्था द्वारा प्रदत्त फॉर्म में सारी जानकारी प्रविष्ट करने के उपरान्त छात्रा को डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।  
(संलग्न संस्था द्वारा प्रारूप फॉर्म)
3. उक्त डिप्लोमा को प्राप्त करने हेतु यदि छात्रा उपस्थित नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में छात्रा द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि को अधिकार पत्र व अपना पहचान पत्र व छात्रा को संस्था द्वारा जारी समस्त अंकसूची प्रस्तुत करना होती है। तो उन्हें भी डिप्लोमा प्रदान किया जा सकता है।
4. अर्जेंट डिप्लोमा हेतु छात्रा द्वारा प्रस्तुत समस्त अंकसूची की छाया प्रतियाँ व स्वयं का आवेदन सचिव राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल म०प्र० के द्वारा प्रारूप फॉर्म में प्रस्तुत करती है। एवं सचिव के नाम रू० 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट फीस के रूप में प्रस्तुत करती है। उसे संस्था द्वारा सचिव की ओर अग्रेषित किया जाता है, वहाँ से तैयार होकर आये डिप्लोमा को छात्रा को प्रदान कर दिया जाता है। ( संलग्न प्रारूप)
5. डिप्लोमा में सुधार (टाइपिंग सुधार) हेतु छात्रा द्वारा आवेदन के साथ मूल डिप्लोमा सुधार हेतु दिया जाता है, तो उसे संस्था द्वारा सचिव राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल म०प्र० की ओर प्रेषित किया जाता है। इस सुधार उपरान्त संस्था में प्राप्त होते ही छात्रा को वितरित कर दिया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरण किया जाता है।

विभिन्न विभागों द्वारा एक सूची संस्था के स्टेशनरी वितरण प्रभारी को दी जाती है जिसमें यह उल्लेखित रहता है कि उनके विभाग की छात्राओं को कौन-कौन सी स्टेशनरी सामग्री की आवश्यकता होती है। तदनुसार स्टेशनरी की व्यवस्था करके स्टेशनरी वितरण प्रभारी द्वारा समस्त विभागों को सूचित किया जाता है कि किन-किन तिथियों/दिवस को पात्र विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरण किया जायेगा। इस सूचना के विवरण अनुसार विद्यार्थियों को निर्धारित कक्ष से स्टेशनरी वितरण किया जाता है। स्टेशनरी की सूची संलग्न हैं।

**SC/ST Stationery List**

S.NO	ITEM	AID	FT	MOM	ETC	CS	REMARK
1	BALL POINT PEN	YES	YES	YES	YES	YES	
2	BALL POINT PEN RIFFLE	YES	YES	YES	YES	YES	
3	BLANK CD	YES	YES	YES	YES	YES	
4	BOX FILES		YES				
5	CALCULATOR NON- SCIENTIFIC		YES	YES			
6	CALCULATOR SCIENTIFIC				YES	YES	
7	DRAFTSMAN SCALE	YES	YES		YES		
8	DRAWING BOARD	YES	YES		YES		
9	DRAWING PENCIL (2H)				YES		
10	DRAWING PENCIL (H)				YES		
11	DRAWING PENCIL (HB)	YES	YES	YES	YES	YES	
12	DRAWING SHEET	YES	YES		YES		
13	FEVICOL	YES	YES				
14	FILE COVER	YES	YES	YES	YES	YES	
15	FRENCH COVER		YES				
16	GRAPH PAPER	YES	YES	YES			
17	INSTRUMENT BOX		YES		YES		
18	MEASURING TAPE TAILORING		YES				
19	MINI-DRAFTER				YES		
20	NOTE BOOK/LONG COPY	YES	YES	YES	YES	YES	
21	PEN DRIVE	YES	YES	YES	YES	YES	
22	PLASTIC SCALE		YES	YES		YES	
23	POSTER COLOUR	YES					
24	RIM BINDER						
25	RUBBER	YES	YES	YES	YES	YES	
26	SCISSOR MEDIUM						
27	SCISSOR LARGE		YES				
28	SCISSOR SMALL		YES				
29	SETSQUARE	YES	YES				
30	SHORT-HAND NOTEBOOK			YES			
31	SHORT-HAND PENCIL			YES			
32	SKETCH BOOK A4	YES	YES				
33	SKETCH PEN SET	YES	YES	YES	YES		
34	T-SQUARE	YES					
35	WHITE PAPER RIM						
36	COLOUR PENCIL	YES	YES				
<b>OTHER THEN LIST ITEMS</b>							
1	PAINTING BRUSH SET OF 6	YES	YES				
2	STEEL SCALE	YES	YES				
3	STENCILS	YES	YES				
4	PHOTO COPY PAPER		YES	YES	YES	YES	
5	DRAWING PENCIL 2B	YES					

## एम.आई.एस. सिस्टम

---

संस्था में एम.आई.एस. सिस्टम के द्वारा संस्था की विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखा जाता है । एम.आई.एस. सिस्टम के उपयोग हेतु छात्राओं की विस्तृत जानकारी अपलोड की जाती है इस जानकारी को एकत्र करने के लिए छात्राओं से एक विस्तृत जानकारी पत्रक भराया जाता है ।

संस्था मे प्रतिवर्ष अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाये जाते है जिसमे विद्यार्थी भाग लेते है मुख्य रूप से –गायन, नृत्य, नाटक, भाषण, रंगोली, साज-सज्जा आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है। संस्था में प्रत्येक वर्ष छात्रा परिषद का गठन करने के पश्चात वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिनमें रंगोली, सोलो साँग, सलाद मेकिंग, बेस्ट आऊट ऑफ वेस्ट, सोलो डॉस, थीम पेंटिंग, ग्रुप डॉस, वॉल पेंटिंग, डिबेट, हिस्टोरिकल कास्ट्यूम इत्यादि मुख्य है। उपरोक्त प्रतियोगिताएँ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुस्कार एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते है । संस्थान में मेधावी छात्राओं का सम्मान करने के उद्देश्य से रावतानी पुरस्कार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह पुरस्कार प्रत्येक विभाग की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सहायता राशि एवं सर्टिफिकेट प्रदान करता है । इसे श्री सुन्दर रावतानीजी (रिटायर प्राचार्य मैनिट) द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी दिवंगत बहन श्रीमती जसवंती रावतानीजी की याद में दिया जाता है । श्रीमती जसवंती रावतानी संस्थान की भूतपूर्व छात्रा थी। प्रदेश एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं मे पुरस्कृत छात्राओं को भी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया जाता है । प्रत्येक विभाग की सर्वश्रेष्ठ छात्रा को स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट की उपाधि प्रदान कर वार्षिक समारोह में सम्मानित किया जाता है ।

## खेलकूद

---

सर्वांगीण विकास के लिए खेल आवश्यक, खेलों के द्वारा छात्राओं में स्पोर्टमेन स्पीट, टीम वर्क एवं उनके अन्दर छुपी स्पोर्ट एबिलिटी को बाहर लाने के उद्देश्य एवं कैरिकुलम में तय किए गए मानदण्डों को पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय में खेल समिति का गठन किया गया है । जिसमें एक खेल प्रभारी के साथ एक सहायक खेल प्रभारी को रखा गया है । साथ ही छात्राओं के प्रतिनिधित्व के लिए महाविद्यालय की छात्रा परिषद में खेल सचिव के पद का सृजन किया गया है । जिससे छात्राओं को भी खेल समिति के साथ जोड़ा जा सके ।

प्रतिवर्ष महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान तीन दिवसीय खेल गतिविधियाँ छात्राओं के लिए महाविद्यालय परिसर में आयोजित की जाती है जिसमें टीम गेम के साथ व्यक्तिगत रुचि वाले खेलों का आयोजन समिति के माध्यम से करवाया जाता है । टीम गेम में कबड्डी जबकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाले खेलों में बैडमिंटन, टेबिल टेनिस, शतरंज, कैरम, गोला फेंक, भाला फेंक, 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़ जैसे खेलों का आयोजन इस दौरान किया जाता है । जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किए जाते हैं ।

महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय के दो कर्मचारियों ने सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है । जिनके द्वारा समय समय पर छात्राओं को निःशुल्क आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है ।

छात्राओं को खेलों में लगने वाले सभी संसाधन महाविद्यालय की खेल समिति द्वारा उलब्ध कराए जाते हैं । छात्राएँ अपनी रुचि अनुसार किसी भी खेल में भाग ले सकती हैं ।

### महाविद्यालय स्तर पर गठित खेल समिति

डॉ० जितेन्द्र ऐरन	—	खेल प्रभारी
श्री अविनाश डासन	—	सहायक खेल प्रभारी

### महाविद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाएँ

कैरम बोर्ड एवं इस खेल में आवश्यक सामग्री

टेबल टेनिस टेबल/रैकेट

गोला

तवा

भाला

बैडमिंटन रैकेट/नेट/शटल कॉक

## फीस

---

नियमित रूप से प्रवेश हेतु विद्यार्थी को निर्धारित फीस/शुल्क जमा करना होता है सत्र 2018-19 के लिए प्रथम वर्ष का शुल्क 7970/- एवं द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रूपये 7870/- निर्धारित है। फीस/शुल्क दो किश्तों में जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। फीस/शुल्क जमा करने हेतु संस्था के शैक्षणिक विभाग से देय शुल्क का चालान पत्र प्राप्त करना होता है। तदुपरान्त निर्धारित बैंक शाखा में चालान की एक प्रति बैंक द्वारा पावती के रूप में विद्यार्थी को दी जाती है विद्यार्थी इस पावती चालान की एक छाया प्रति शैक्षणिक विभाग में जमा करना होता है एवं एक प्रति जिस विभाग में अध्ययनरत है उस विभाग में जमा करनी होती है।

### संलग्न:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	शुल्क का विवरण	121
2.	चालान की छायाप्रति	122

## College Fee Structure

Government women's Polytechnic College Shivaji Nagar Bhopal

S.no.	Head	First Year			
		Full Fee	First Instt.	Sec.Instt	TFW
01	Tuition fee	7500.00	3750.00	3750.00	00.00
02	Student Welfare	05.00	05.00	00.00	05.00
03.	Identity card	05.00	05.00	00.00	05.00
04.	Exam. fee	20.00	20.00	00.00	20.00
	Inter Poly. Games	40.00	40.00	00.00	40.00
	Amalgamated fee	200.00	200.00	00.00	200.00
07.	Training & Placement	100.00	100.00	00.00	100.00
08.	Cation Money	100.00	100.00	00.00	100.00
<b>Total Rs.</b>		<b>7970.00</b>	<b>4220.00</b>	<b>3750.00</b>	<b>470.00</b>

Head	Second, Third Year			
	Full Fee	First Instt.	Sec.Instt	TFW
Tuition fee	7500.00	3750.00	3750.00	00.00
Student Welfare	05.00	05.00	00.00	05.00
Identity card	05.00	05.00	00.00	05.00
Exam. fee	20.00	20.00	00.00	20.00
Inter Poly. Games	40.00	40.00	00.00	40.00
Amalgamated fee	200.00	200.00	00.00	200.00
Training & Placement	100.00	100.00	00.00	100.00
Cation Money	00.00	00.00	00.00	00.00
<b>Total Rs.</b>	<b>7870.00</b>	<b>4120.00</b>	<b>3750.00</b>	<b>370.00</b>

**प्रचार्य की प्रति**  
**भारतीय स्टेट बैंक**  
लिनक रोड शाखा, भोपाल  
फोन 0755-2761568, 2762595  
**शिक्षण शुल्क हेतु**

चालान क्र. .... दिनांक .....

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल  
खाता क्रमांक : 53001431954

छात्रा का नाम :  
सेमिस्टर ब्रांच का नाम :  
रोल नम्बर :

शिक्षण निधि	रूपये .....
छात्र सहायता	रूपये .....
परिचय पत्र	रूपये .....
स्थानीय परीक्षा शुल्क	रूपये .....
इन्टर पोली महा गेम्स	रूपये .....
अमलगमेंटेड फंड	रूपये .....
प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट	रूपये .....
कारान मनी	रूपये .....
अन्य शुल्क	रूपये .....
टी. सी. शुल्क	रूपये .....
योग	रूपये .....
शब्दों में रूपये	.....

**छात्रावास शुल्क :**

1. छात्रावास शुल्क रूपये .....
2. छात्रावास प्रवेश शुल्क रूपये .....
3. जलभार राशि रूपये .....
4. विद्युत शुल्क रूपये .....
5. छात्रावास कारान मनी रूपये .....

योग रूपये .....

शब्दों में रूपये .....

महायोग रूपये .....

**केशियर/अधिकारी जमाकर्ता के हस्ताक्षर**  
कृपया केश/बैंक का विवरण पृष्ठ भाग में

**प्रचार्य की प्रति**  
**भारतीय स्टेट बैंक**  
लिनक रोड शाखा, भोपाल  
फोन 0755-2761568, 2762595  
**शिक्षण शुल्क हेतु**

चालान क्र. .... दिनांक .....

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल  
खाता क्रमांक : 53001431954

छात्रा का नाम :  
सेमिस्टर ब्रांच का नाम :  
रोल नम्बर :

शिक्षण निधि	रूपये .....
छात्र सहायता	रूपये .....
परिचय पत्र	रूपये .....
स्थानीय परीक्षा शुल्क	रूपये .....
इन्टर पोली महा गेम्स	रूपये .....
अमलगमेंटेड फंड	रूपये .....
प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट	रूपये .....
कारान मनी	रूपये .....
अन्य शुल्क	रूपये .....
टी. सी. शुल्क	रूपये .....
योग	रूपये .....
शब्दों में रूपये	.....

**छात्रावास शुल्क :**

1. छात्रावास शुल्क रूपये .....
2. छात्रावास प्रवेश शुल्क रूपये .....
3. जलभार राशि रूपये .....
4. विद्युत शुल्क रूपये .....
5. छात्रावास कारान मनी रूपये .....

योग रूपये .....

शब्दों में रूपये .....

महायोग रूपये .....

**केशियर/अधिकारी जमाकर्ता के हस्ताक्षर**  
कृपया केश/बैंक का विवरण पृष्ठ भाग में

**छात्रा की प्रति**  
**भारतीय स्टेट बैंक**  
लिनक रोड शाखा, भोपाल  
फोन 0755-2761568, 2762595  
**शिक्षण शुल्क हेतु**

चालान क्र. .... दिनांक .....

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल  
खाता क्रमांक : 53001431954

छात्रा का नाम :  
सेमिस्टर ब्रांच का नाम :  
रोल नम्बर :

शिक्षण निधि	रूपये .....
छात्र सहायता	रूपये .....
परिचय पत्र	रूपये .....
स्थानीय परीक्षा शुल्क	रूपये .....
इन्टर पोली महा गेम्स	रूपये .....
अमलगमेंटेड फंड	रूपये .....
प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट	रूपये .....
कारान मनी	रूपये .....
अन्य शुल्क	रूपये .....
टी. सी. शुल्क	रूपये .....
योग	रूपये .....
शब्दों में रूपये	.....

**छात्रावास शुल्क :**

1. छात्रावास शुल्क रूपये .....
2. छात्रावास प्रवेश शुल्क रूपये .....
3. जलभार राशि रूपये .....
4. विद्युत शुल्क रूपये .....
5. छात्रावास कारान मनी रूपये .....

योग रूपये .....

शब्दों में रूपये .....

महायोग रूपये .....

**केशियर/अधिकारी जमाकर्ता के हस्ताक्षर**  
कृपया केश/बैंक का विवरण पृष्ठ भाग में

## राजीव गॉधी विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म अग्रेषण के नियम

---

विद्यार्थी का अध्ययन अध्यापन एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमानुसार की जाती है।

सेमेस्टर परीक्षा में बैठक हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

## प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष एवं द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु प्रोफार्मा के नियम

---

- प्रथम सेमेस्टर परीक्षा देने के उपरान्त विद्यार्थी का स्वतः ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश हो जाता है।
- द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा देने के उपरान्त विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेना होता है। इस हेतु उसे प्रवेश फार्म भरना होता है यदि विद्यार्थी I & II सेमेस्टर के समस्त विषय में उत्तीर्ण है अथवा अधिकतम 5 विषयों में अनुत्तीर्ण है तो उसे III सेमेस्टर में प्रवेश मिलेगा।
- III सेमेस्टर की परीक्षा के उपरान्त विद्यार्थी को स्वतः ही IV सेमेस्टर में प्रवेश मिल जाएगा।
- IV सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम के उपरान्त विद्यार्थी को V सेमेस्टर में प्रवेश लेना होता है। यदि विद्यार्थी I & II सेमेस्टर के विषयों में उत्तीर्ण नहीं है तो उसे V सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- यदि विद्यार्थी I & II सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण है। जिनका I & II का CGPA 5 से कम है तो उसे V सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- यदि विद्यार्थी III & IV सेमेस्टर के 5 से ज्यादा विषयों में अनुत्तीर्ण है तो उसे V सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलेगा
- दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि V सेमेस्टर में उसी विद्यार्थी को प्रवेश मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करता है।
  - I & II सेमेस्टर के समस्त विषयों में उत्तीर्ण है।
  - I & II सेमेस्टर में उसे CGPA 5 अथवा 5 से ज्यादा है।
  - III & IV सेमेस्टर के अधिकतम 5 विषयों में अनुत्तीर्ण है।
  - V सेमेस्टर की परीक्षा के उपरान्त विद्यार्थी को स्वतः ही VI सेमेस्टर में प्रवेश मिल जाता है।
  - IV सेमेस्टर की परीक्षा के उपरान्त जिस विद्यार्थी का CGPA 5 अथवा 5 से ज्यादा है उसे राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।
  - यदि विद्यार्थी का CGPA 5 से कम है तो उसे परिणाम सुधारने हेतु किसी भी 04 विषयों में परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है।

## कैम्पस सिलेक्शन

---

संस्था में अनेक व्यावसायिक संस्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार हेतु चयन करने के लिये प्रतिवर्ष आती है। संस्था में इस कार्य हेतु अलग से ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

## प्रभारियों की सूची

---

संस्था के प्राचार्य श्री के.व्ही राव द्वारा संस्था की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया गया है, जिनकी सूची निम्नलिखित है :-

- शैक्षणिक कार्य सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रभारी श्रीमती सुषमा गोखले, व्याख्याता आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डेकोरेशन है।
- छात्रवृत्ति प्रभारी श्रीमती चारुमित्रा पाटिल, व्याख्याता आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डेकोरेशन है।
- ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रभारी श्री विनोद गुप्ता, व्याख्याता, अंग्रेजी है।
- पुस्तकालय सम्बन्धी कार्यों के लिए श्रीमती अंजना खरे, ग्रन्थपाल है।
- विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्य के लिए विभागों के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है।
- सांस्कृतिक गतिविधि प्रभारी श्रीमती अंजू चौरसिया, व्याख्याता, फैशन टेक्नालॉजी है।
- खेलकूद प्रभारी श्री अविनाश डासन, जूनियर निर्देशक है।
- लेखापाल श्री एम. आई. खान है।

## बैंक खाता खुलवाने हेतु प्रमाण-पत्र

संस्था की छात्राओं को फीस जमा करने हेतु, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु एवं अन्य संस्थागत तथा निजी कारणों से बैंक खाता खुलवाना होता है। इस हेतु छात्राओं द्वारा माँगने पर उन्हें संस्था का प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ताकि उन्हें बैंक खाता खुलवाने में मदद हो सके।

बैंक खाता खुलवाने हेतु दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है।



शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय  
शिवाजी नगर, भोपाल – 462016 (म.प्र.)  
फोन न – 0755-2576839, फैक्स – 2576840

ईमेल – [info@gwpbpl.org](mailto:info@gwpbpl.org) वेब साइट – [www.gwpbpl.org](http://www.gwpbpl.org)

क./शामपोमभो / ..... विभाग / ..... / भोपाल, दिनांक.....

**:: प्रमाण-पत्र ::**

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती /कु0 ..... ने सत्र .....  
.....में इस संस्था के ..... विभाग के ..... सेमेस्टर में नियमित छात्रा  
के रूप में प्रवेश लिया है।

छात्रा को यह प्रमाण-पत्र बैंक में खाता खुलवाने हेतु प्रदान किया जा रहा है।

विभागाध्यक्ष

प्राचार्य

## सूचना का अधिकार

---

संस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार संस्था से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति संस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस हेतु नियमानुसार आवेदन करना होता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी संस्था के प्राचार्य अथवा संस्था के मुख्य लिपिक के पद पर कार्यरत व्यक्ति से सम्पर्क किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संलग्न है :-

पत्र क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
01	जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र	129
02	आवेदन शुल्क विवरण	130

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।

1.7.1 हस्तपुस्तिका/ संस्था की वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्राचार्य/ लोक सूचना अधिकारी  
शासकीय महिला पोलि. महाविद्यालय  
शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:- \_\_\_\_\_के संबंध में जानकारी देने बाबत।

महोदय,

सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध/आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण

क्रमांक	जानकारी का शीर्ष	जानकारी का विवरण

7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रूपए /नगद/ स्टाम्प (बीपीएलसूची के सदस्य को देय नहीं )
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हाँ/नहीं यदि हां तो बी.पी.एल.सूची का अनुक्रमांक

धन्यवाद,

भवदीय

नाम \_\_\_\_\_

टीप:-यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपए 5 का स्टाम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बीपीएल सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं )

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक  
लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत  
पदनाम(रक्षर सोल)

1.7.2- आवेदन शुल्क :-

समस्त कार्यों के लिए प्रक्रमण शुल्क रु 10/- प्रति पृष्ठ  
ए 4 साइज के प्रति पृष्ठ की छायाप्रति रु 2/- प्रति पृष्ठ  
ए 3 साइज के प्रतिपृष्ठ की छायाप्रति रु. 5/- प्रति पृष्ठ  
फलापी में प्रति फलापी रु. 30/-  
सीडी में प्रति सी.डी. रु. 50/-  
फाइल कव्हर में छायाप्रति हेतु फाइल का मूल्य रु. 20/- प्रति नग

## राष्ट्रीय सेवा योजना

संस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की इकाई भी कार्यरत है।

विद्यार्थी को आस-पास के सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए पर्यावरण तथा जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संस्था की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार विभिन्न शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यवाहियों में भाग ले सकता है।

## एल्युमिनाई

---

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की पूर्व छात्राओं का एक संगठन है, जिसका नाम “शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल एल्युमिनाई एसोसिएशन” है। इस संगठन में डिप्लोमा प्राप्त कर चुकी छात्राओं को सदस्यता प्रदान की जाती है। जिसका वर्तमान में सदस्यता शुल्क रूपये 200/- है, एवं इसकी प्रभारी संस्था की मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की व्याख्याता डॉ. आरती ठाकुर हैं। एल्युमिनाई की सदस्यता प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र भर का एल्युमिनाई प्रभारी को प्रस्तुत करना होता है। तदुपरान्त शुल्क जमा करके सदस्यता प्रदान की जाती है।

संलग्न पत्र क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
01	एल्यूमिनाई सदस्यता हेतु आवेदन पत्र	133

Form No.

GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLAGE  
SHIVAJI NAGAR, BHOPAL-462016 (M.P)

ALUMNIREGISTRATION FORM

Name ( IN BLOCK LETTER) -----

Address for Communication -----

Year of Passing -----

Course/Branch -----

E-Mail ID -----

Telephone No./Mob. No. -----

Occupation  
(Designation & office address)

Date:-

Signature:-

## स्टूडेंट चैप्टर

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में प्रोफेशनल एटीट्यूड के विकास हेतु महाविद्यालय निरंतर प्रयासरत रहता है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित विभागों का प्रोफेशनल बॉडीज से पंजीयन किया गया है । वर्तमान में महाविद्यालय में प्रोफेशनल बॉडीज के अंतर्गत चार स्टूडेंट चैप्टर कार्यरत है जो निम्नलिखित है:-

क्रमांक	स्टूडेंट चैप्टर	संबंधित विभाग
1.	इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल ऐजुकेशन (ISTE)	1. आर्किटेक्चर एवं इंटीरियर डिजाइन 2. कम्प्यूटर साइंस 3. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्युनिकेशन 4. फैशन टेक्नोलॉजी
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) IE (I)	1. आर्किटेक्चर एवं इंटीरियर डिजाइन 2. कम्प्यूटर साइंस 3. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्युनिकेशन
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर (IIID)	1. आर्किटेक्चर एवं इंटीरियर डिजाइन
4.	कार्यालय प्रबंध शिक्षण सोसायटी	1. मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट

विभिन्न स्टूडेंट चैप्टर अंतर्गत संबंधित विभागों की छात्राओं को भी प्रोफेशनल बॉडीज से पंजीकृत किया जाता है । जिससे छात्राओं को विभिन्न प्रोफेशनल बॉडीज से संबद्ध होने पर प्लेसमेंट सुविधा विभिन्न स्टेट लेवल नेशनल लेवल गतिविधियों में सहभागिता आदि लाभ प्राप्त हो सके ।

उक्त स्टूडेंट चैप्टर अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रोफेशनल गतिविधियों करवाई जाती है । गत वर्ष से महाविद्यालय द्वारा स्टूडेंट चैप्टर अंतर्गत इंटर पोलीटेक्निक प्रतियोगितायें भी आयोजित की जा रही है । जिससे छात्राओं को राज्य स्तर पर अपने तकनीकी ज्ञान को प्रवेशित करने एवं परखने का अवसर प्राप्त हो साथ ही साथ उनमें अन्य प्रोफेशनल गुणों जैसे गतिविधि प्रबंधन, एकल एवं समूह में कार्य करने की भावना, आत्मविश्वास, नैतिकता आदि का विकास हो सके ।

## आंतरिक परिवाद समिति

---

संस्था के आदेश पत्र क्र० 2018/2159, भोपाल दिनांक 10/12/2018 के अनुसार संस्था में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है । जिसमें निम्न अधिकारी कर्मचारी सदस्यगण हैं:-

1. श्रीमती पूजा मंगनानी, अध्यक्ष
2. डॉ० आराधना हंस, सदस्य
3. श्रीमती आरती लाड, सदस्य
4. श्रीमती संगीता सोनी, सदस्य
5. डॉ० विनोद गुप्ता, सदस्य
6. श्रीमती भावना जायसवाल, सदस्य

उपरोक्त समिति समय-समय पर संस्था परिवार के आंतरिक मामलों में अपील (आवेदन) आने पर अपने समस्या निर्वारण कार्य को अंजाम देती है ।

संस्था के महिला कर्मचारी/अधिकारी एवं छात्राओं से संबंधित किसी भी प्रकार की आवांछनीय घटना अथवा उत्पीड़न संबंधी मामलों में भी अपील प्राप्ति पर समस्या निर्वारण कार्य को अंजाम देती है।

